हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना :–**

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य निष्पादित किया।

क्र0सं0	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री बी0बी0 कालरा	09.01.2012 से 31.03.2013

एवं अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारियों द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर कार्य निष्पादित किया।

क्र0सं0	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री जगदीश चन्द पंवार	01.04.2012 से 26.11.2012
2	श्री के0डी0 शर्मा	29.11.2012 से 31.03.2013

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2013 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनांक 31.03.13 तक ग्राऊंड रैन्ट आबंटियों से वसूली हेतु शेष।	4	42.98
2	यात्रा भत्ता, अवकाश रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय, एवं भवन	5	28.91

	निर्माण अग्रिमों की कई वर्षों से वसूली/समायोजन न करना		
3	लेखन व मुद्रण विभाग से 31.03.13 तक अग्रिम का समायोजन न करना	6	2.77
4	सावधि निवेश में अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तशेष में दर्शाना	7.1	25.04
5	सावधि लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों से न करवाया जाना	7.2	725.50
6	बैंक प्रमाण पत्र व सावधि अभिलेख में अन्तर पाया जाना	7.3	61.93
7	बैंक प्रमाण पत्र की तुलना में सावधि निवेश अभिलेख/शैडयूल में अधिक निवेश दर्शाया जाना	7.4	0.53
8	विभिन्न आवासीय बस्तियों से बकाया राशि पिछले कई वर्षों से वसूली न करना तथा न ही आंबटन रद्द करना	8	363.24
9	धरोहर राशि को जब्त न करना	8.1	18.61
10	लीज रेन्ट की कम वसूली करना	8.2	6.62
11	आंबटियों से ब्याज की कम वसूल करना	8.3	1.41
12	तकनीकी अधिकारियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अधिक भुगतान	9	4.68
13	मान्य लेखा सिद्धान्तों के विरूद्ध "Advertisement Charges-Display" लेखा शीर्षक को क्रेडिट करके "Service Charges" लेखा शीर्षक को डेबिट किए जाने बारे	10	8.26
14	नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के कंट्रीब्यूट्री प्रोविडेंट फण्ड में प्रावधानों के विपरीत जमा करना	11.1	6.09
15	प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान के रूप में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त न करना	11.2	9.67
16	मांग सर्वेक्षण (Demand Survey) से सम्बन्धित पूर्वानुमानित ब्याज दायित्व को तुलन पत्र/लेखों में परिलक्षित न करना	14	170.81

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 1984–85 से 2011–12 तक मुख्यालय से सम्बन्धित लगभग 300 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	1985—86	1
2	1990—91	3
3	1992—93	3
4	1996—97	1
5	1997—98	5
6	1998—99	1
7	1999—2000	5
8	2000—2001	11
9	2001—2002	13
10	2002—2003	7
11	2003—2004	1
12	2004—2005	12
13	2005—2006	11
14	2006—2007	8
15	2007—2008	15
16	2008—2009	14
17	2009—2010	29
18	2010—2011	52
19	2011—2012	54
	योग	**246**

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे

1	1989—90	1
2	1990—91	1
3	1991—92	3
4	1992—93	2
5	1993—94	2
6	1994—95	3
7	1995—96	5

8	1996—97	11
9	1997—98	11
10	1998—99	7
11	1999 से 2001	8
	योग	**54**

अतः सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला—2 के उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

अवधि 4/2012 से 3/2013 तक का अंकेक्षण कार्य श्री बसंत सिंह कंवर, उप निदेशक, के पर्यवेक्षण में सर्व श्री अनिल शर्मा, रविन्द्र सिंह, अनिल मेहरा, मंजीत अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.02.2014 से 07.04.2014 तक प्राधिकरण मुख्यालय निगम बिहार शिमला—2 में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मास 3/13 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणाम आगामी पैराग्राफ में समाविष्ट किये गये है।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरण के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।"

3 अंकेक्षण शुल्क :—

अवधि 4/2012 से 3/2013 तक के आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों एवं मुख्यालय के अंकेक्षण की लेखा परीक्षा शुल्क ₹280100/— आंका गया है। इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश, शिमला—2 को अधियाचना संख्याःफिन (एल0ए0) एच(2)सी(15)(14)122/88 खण्ड—12—2990 दिनाँक 4.6.14 द्वारा भेजने बारे अनुरोध किया गया है।

4 **दिनांक 31.03.13 तक ग्राऊंड रैन्ट ₹42.98 लाख आबंटियों से वसूली हेतु शेषः–**

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्शियल दुकानों एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से ग्राऊंड रेन्ट की राशि प्रतिवर्ष प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। ग्राऊंड रेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने व अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि आबंटियों से दिनांक 31.03.2013 तक ₹4298819.00 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 'क–1'** में संलग्न है। जाूच करने पर यह भी पाया गया कि अधिकतम राशियाँ गत 20 वर्षों से लम्बित चली आ रही हैं तथा वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। यहां यह विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य तथ्य है कि ग्राऊंड रैन्ट की वसूली हेतु शेष राशि ₹4298819.00 का लेखांकन तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) में नहीं किया जा रहा है यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस सन्दर्भ में यह आपत्ति उठाई गई थी फिर भी इस त्रुटि के सुधार हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं लाई जा रही है। तुलन पत्र में बकाया/अदत्त आय को न दर्शाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अनेक वर्षों से लम्बित चली आ रही आय की प्राप्ति/वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में लम्बित आय की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाएं।

5 **₹28.91 लाख के यात्रा भत्ता, अवकाश रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय एवं भवन निर्माण अग्रिमों की कई वर्षों से वसूली/समायोजन न करनाः–**

विभिन्न अग्रिमों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशिया विभिन्न अग्रिमों के रूप में गत कई वर्षों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में यह राशियॉ कब से व किन अधिकरियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित है। अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस सम्बन्ध में इन अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा दिनांक 31.3.2013 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 ₹2891104.43 के विभिन्न अग्रिम भुगतानों का सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्ड ब्याज सहित वसूली करके समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

शैडयूल विवरण	अग्रिम का विवरण	दिनांक 31.3.2013 को अग्रिम की बकाया राशि वसूली/समायोजन हेतु शेष
शैडयूल XXII के अनुसार	भवन निर्माण अग्रिम	2630884
	अवकाश रियायत यात्रा अग्रिम	18390.50
	चिकित्सा व्यय अग्रिम	32216.57
	स्टाफ अग्रिम	9777.46
	यात्रा भत्ता अग्रिम	128464.15
	स्थानांतर यात्रा अग्रिम	3078.00
	गर्म कपड़ा अग्रिम	40043.75
शैडयूल X के अनुसार	स्कूटर अग्रिम नगर विकास प्राधिकरण	28250.00
	कुल योग	**₹2891104.43**

6 लेखन व मुद्रण विभाग से 31.3.13 तक अग्रिम राशि ₹2.77 लाख का समायोजन शेषः—

लेखा शीर्ष "विविध अग्रिम" की जॉच करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम ₹277822.94 की राशि दिनांक 31.3.2013 को समायोजन हेतु शेष थी वर्ष 2003—2004 से इस राशि की स्थिति निम्न प्रकार थीः—

खाता बही पृष्ठ संख्या	वित्तीय वर्ष	अग्रिम राशि (₹) में	वर्ष में समायोजित राशि (₹) में	वर्षान्त में बकाया राशि (₹) में
485	2003—2004	1,66,342.94	1,01,740.00	64,602.94
491	2004—2005	1,85,593.00	2,06,307.00	43,888.94
404	2005—2006	2,00,000.00	1,81,218.00	62,670.94
121	2006—2007	2,50,000.00	2,39,020.00	73,650.94
472	2007—2008	3,75,000.00	3,14,135.00	1,34,515.94
437	2008—2009	3,50,000.00	1,39,788.00	3,44,727.94
562	2009—2010	3,00,000.00	2,86,756.00	3,57,971.00

523	2010–2011	1,50,000.00	1,35,896.00	3,72,075.00
445	2011–2012	2,00,000.00	2,80,389,00	2,91,686.94
शैडयूल XXII	2012–2013	2,55,000.00	2,68,864.00	2,77,822.94

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को अग्रिम राशियों का भुगतान उनके पास शेष राशि होने पर भी किया गया था जो दिनांक 31.03.2013 तक बढ़कर ₹277822.94 तक हो गई है। ₹277822.94 की राशि का समायोजन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों के साथ लम्बी अवधि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि पाए गए अन्तशेष के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण पत्र लेखन एवं सामग्री विभाग से प्राप्त नहीं किया गया जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाती। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी राशि के समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि आवश्यक छानबीन एवं निपटारे हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

7 मुख्य कार्यालय सावधि लेखा :–

मुख्य कार्यालय के सावधि लेखा की पड़ताल करने पर निम्न अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गईः–

7.1 ₹25.04 लाख के सावधि निवेश अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तशेष में दर्शानाः–

सावधि निवेश रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि सावधि निवेश रजिस्टर के पृष्ठ 20 व 21 पर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, शिमला में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दी मॉल शिमला में ₹25.04 लाख का निवेश किया गया दर्शाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है। परन्तु किए गए निवेश के सम्बन्ध में कोई भी विवरण अर्थात किस तिथि को राशि निवेश की गई, कितनी अवधि के लिए निवेश किया गया और किस ब्याज दर से निवेश किया गया का कोई उल्लेख नहीं पाया गया था। तुलन पत्र के साथ संलग्न शैडयूल के अनुसार यह राशि 31.01.2005 और 10.11.2005 को कमशः निवेशित दर्शाई गई थी। सावधि निवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टि अनुसार केवल यह वर्णित किया गया है कि यह निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित बैंकों से प्राप्त प्रमाण पत्र की जाँच करने पर पाया गया कि बैंकों द्वारा यह प्रमाण दिया गया है कि उनके पास इस सम्बन्ध में कोई राशि सावधि निवेश में जमा नहीं है इससे स्पष्ट है कि ₹2504286/– के निवेश बारे हिमुडा अधिकारियों

को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी तथा लेखों में इन सावधि निवेश का लेखाकरण वास्तविकता को नजर अन्दाज करके किया गया था। सम्बन्धित त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं इस सम्बन्ध में नियमानुसार छानबीन की जाए और अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**राशि**
1	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, शिमला	₹1191571
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दी मॉल शिमला 171002	₹1312715
	कुल योग	**₹2504286**

7.2 ₹725.20 लाख के सावधि लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों में न करवाया जानाः–

सावधि लेखा की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न बैंकों के सावधि लेखा में दिनाँक 31.03.2013 को ₹72519926.00 जमा दर्शाई गई थी। परन्तु इस राशि का सत्यापन बैंकों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्रों से नहीं करवाया गया। सावधि लेखा के शैडयूल और सावधि रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि जमा राशियों की उचित सूचना स्वतः स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई थी। तैयार लेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि समय–समय पर किए गए निवेश की क्या स्थिति थी, जिस कारण किए गए निवेश की उचित जाँच किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। सावधि निवेश का आवश्यक सत्यापन बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों से न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं आवश्यक प्रमाण पत्र अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि करवाई जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

Sr. No.	**FDR No.**	**Name of Bank**	**Date of Investment**	**Amount of Investment**
1	7679	UCO Bank	21.07.09	5359994
2	13168	UCO Bank	21.07.09	5000000
3	7662	UCO Bank	21.07.09	5822061
4	13175	UCO Bank	14.09.09	5000000
5	3100	UCO Bank	28.11.09	4000000
6	414661	United Bank of India Shimla	22.02.10	2000000
7	253	OBC Shimla	02.03.06	316121

8	626074	OBC Shimla	27.12.05	440000
9		OBC Shimla	06.07.06	81750
10	1939	PNB Ghora Chowki	20.01.09	2500000
11	1280	PNB Bharari	31.03.11	2000000
12	134	HPSC Bank	13.04.12	10000000
13	914507	HPSC Bank	06.04.11	30000000
		Total		**72519926**

7.3 ₹61.93 लाख का अन्तर बैंक प्रमाण पत्र व सावधि अभिलेख मे पाया जानाः–

सावधि निवेश से सम्बन्धित अभिलेख और सम्बन्धित बैंक से प्राप्त निवेश प्रमाण पत्र की पड़ताल में पाया गया कि निम्न मामलों में बैंकों द्वारा अधिक राशि के सावधि निवेश प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे जबकि सावधि अभिलेख में उन बैंकों से सम्बन्धित सावधि निवेश की कम राशि दर्शाई गई थी। इस प्रकार अभिलेख अनुसार सावधि खाता और बैंक प्रमाण पत्र अनुसार निवेश में ₹6192735.96 का अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	**बैंक का नाम**	**अभिलेखानुसार सावधि खाता का शेष (₹)**	**बैंक प्रमाण पत्र अनुसार सावधि निवेश शेष (₹) में**
1	HDFC	1050801.95	1631143.61
2	Yes Bank	3000000	3524106.30
3	Himachal Gramin Bank, Khalini Shimla	2000000	2907298.00
4	SBOP, Chotta Shimla	5000000	5394429.00
5	PNB The Mall	5000000	5723291.00
6	PNB Sanjauli	18499200.00	2156470.00
	Total	34550001.95	40742737.91
	Difference		**6192735.96**

7.4 बैक प्रमाण पत्र की तुलना में सावधि निवेश अभिलेख/शैडयूल में ₹0.53 लाख का अधिक निवेश दर्शाया जानाः–

हिमुडा मुख्यालय के सावधि निवेश अभिलेंख/शैडयूल और सावधि निवेश से सम्बन्धित बैंक प्रमाण पत्रों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में बैंक प्रमाण पत्र से अधिक राशि सावधि निवेश अभिलेख/शैडयूल में दर्शाई गई थी। इस प्रकार अभिलेख अनुसार सावधि खाता और बैंक प्रमाण पत्र अनुसार ₹53056/– निवेश अधिक दर्शाया गया था जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए। साथ ही निवेशित राशि के बारे में बैंक से उचित छानबीन की जाए।

बैंक का नाम	सावधि निवेश खाता सं0	सावधि निवेश शैडयूल में दर्शाई गई राशि	बैंक प्रमाण पत्र अनुसार निवेशित राशि	अधिक दर्शाई गई राशि
Union Bank of India	303–431653, 431648, 431649, 431650, 651, 652, 357–146, 357–144, 357–145, 357–141	79352656	79300000	52656
Union Bank of India	303–433862, 20193, 10193, 193, 428343, 428342, 428344, 428341	31612800	31612400	400
Total		**110965456**	**110912400**	**53056**

7.5 सावधि निवेश से सम्बन्धित सूचना सावधि निवेश रजिस्टर व तैयार शैडयूल में स्वतः स्पष्ट रूप से न दर्शाया जानाः–

हिमुडा लेखा से समय–समय पर किए गए सावधि निवेशों की जाँच करने पर पाया गया कि किए गए निवेशों से सम्बन्धित सूचना यथा लागू ब्याज दर, निवेश अवधि, परिपक्वता पर प्राप्त/बैंक द्वारा दी गई राशि, पुनः निवेश की स्थिति में लागू ब्याज दर, समय

अवधि का स्वतः स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था तथा न ही परिपक्वता पर पुनः निवेश की स्थिति में आवश्यक उचित लेखाँकन, प्राप्त ब्याज/संशोधित मूल राशि से सम्बन्ध विवरण दिया गया। इसके अतिरिक्त पुनः निवेशित राशियों की स्थिति के सम्बन्ध में तैयार किए गए शैडयूल में पूर्व अवधि बारे उचित सूचना न दर्शाकर केवल वर्तमान सूचना का ही उल्लेख किया गया है उदाहरणार्थ निवेश वर्ष 2006 में किया गया जो कि वर्ष 2008 में परिपक्वता पर इसे पुनः निवेशित कर दिया गया परन्तु तैयार शैडयूल में इस सम्बन्ध में कोई भी स्थिति न दर्शाकर केवल वर्ष 2008 को किए गए पुनः निवेश की सूचना ही दर्शाता है। करोड़ों रूपयों के सावधि निवेश बारे सम्बन्धित शाखा द्वारा आवश्यक अभिलेख नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया था तथा अनेक त्रुटियाँ अभिलेख में पाई गई, जोकि अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में गत वर्षों से अनेक आपत्तियाँ उठाई जाती रही है फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सावधि निवेश रजिस्टर तथा तुलन पत्र के साथ संलग्न शैडयूल उचित प्रकार से तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

8 विभिन्न आवासीय बस्तियों से पिछले कई वर्षों से ₹363.24 लाख की वसूली न करना तथा न ही आंबटन रद्द करनाः–

खाता बहियों की पड़ताल पर पाया गया कि विभिन्न आवासीय कलौनी में आंबटित फ्लैट/प्लाट के आंबटियों से ₹36324040/– की बकाया राशि कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख–1"** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि की वसूली हेतु दिनांक 31.03.2013 तक कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। फ्लैट/प्लाट की एवज में राशि कई वर्षों से प्राप्त न होने के कारण उक्त फ्लैट/प्लाट के आंबटन की शर्तों के अनुसार रद्द किया जाना व धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त किया जाना अपेक्षित था।

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आंबटित कलौनियों के फ्लैट/प्लाट की ₹36324040/– राशि की वसूली ब्याज सहित शीध्र करने तथा जिन आंबटितयों से राशि प्राप्त नहीं हो रही है उनका आंबटन नियमानुसार रद्द करके, धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त करने तथा रद्द किए गए फ्लैट/प्लाट को पुनः बाजार भाव पर आंबटित करने हेतु लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शेष आवासीय कलौनियों जिनसे पिछले कई वर्षों से फ्लैट/प्लाट की बकाया राशि की वसूली लम्बित है का विवरण विभागीय तौर पर तैयार करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 ₹18.61 लाख की धरोहर राशि को जब्त न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न आवास बस्तियों में आंबटित प्लाट की खतााबहियों की पड़ताल पर पाया गया कि ₹39433960/— मूल्य की राशि के आंबटित प्लाट में से आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को दिनांक 31.03.2013 तक केवल ₹1861000/— धरोहर राशि की प्राप्ति हुई थी साथ ही इन आंबटित प्लाटों के आंबटियों से ₹37572960/— की राशि देय थी। आवास बस्तियों के आंबटन हेतु बनाए गए नियम व औद्योगिक क्षेत्र आंबटन हेतु बनाए गए नियम 12 (iii) के अनुसार यदि आंबटियों के द्वारा प्लाट आंबटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो प्राप्त धरोहर राशि को जब्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे हिमुडा को ₹37572960/— का नुकसान उठाना पड़ा। हिमुडा द्वारा प्लाट आंबटन हेतु बनाई गई शर्तों के अनुसार यदि आंबटित व्यक्ति द्वारा प्लाट आंबटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो प्लाट आंबटन रद्द किया जाना भी अपेक्षित था तत्पश्चात धरोहर राशि को जब्त किया जाना चाहिए था। यदि आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट का आंबटन जिनका विवरण **परिशिष्ट "ख 2"** में दिया गया है रद्द किया जाता तो उस स्थिति में एक तो धरोहर राशि को जब्त किया जाता तो इन प्लाट की पुनः नीलामी करके हिमुडा द्वारा अधिक राशि प्राप्त की जा सकती थी। अतः ₹39433960/— मूल्य के आंबटित प्लाटों का आंबटन रद्द न करने व ₹1861000/— की धरोहर राशि को जब्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आंबटित प्लाट का आंबटन रद्द करके व धरोहर राशि को जब्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 लीज रेन्ट ₹6.62 लाख की राशि की कम वसूली करने बारेः—

बद्दी (भटोली—कलां) में Self Financing Scheme के अन्तर्गत आंबटित इंडस्ट्रियल प्लाटस की खाता बही की जाँच करने पर पाया गया कि आंबटियों से नियमानुसार Lease Rent की वसूली नहीं की गई थी। उक्त स्कीम से सम्बन्धित विवरण पुस्तिका में दी गई शर्त संख्याः 14 एवं 17 (5) के अनुसार आंबटित इंडस्ट्रियल प्लाटस की आंबटियों से पूर्ण लागत की प्राप्ति के उपरान्त वार्षिक दर से लीज रेन्ट की वसूली की जानी अपेक्षित थी परन्तु परिशिष्ट "ख—3" में वर्णित प्रकरणों के सम्बन्ध में गत कई वर्षों से इंडस्ट्रियल प्लाटस के आंबटियों से लीज रेन्ट की वसूली नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप ₹662746/— की वसूली नहीं की गई थी, जो कि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः इस सम्बन्ध में आंबटियों से नियमानुसार Lease Rent की वसूली नहीं करने बारे स्थिति स्पष्ट की

जाए तथा आंबटियों से Lease Rent की वसूली शीध्र की जानी सुनिश्चित की जाये। इस प्रकार के शेष प्रकरणों में हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर अपेक्षित कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 आंबटियों से ₹1.41 लाख ब्याज के रूप में कम वसूल करनाः–

आंबटियों की खाता वहियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा विभिन्न आंबटियों के मामलों में उनको आंबटित प्लाटों की अन्तिम लागत निर्धारित करने के उपरान्त शेष बकाया राशि जमा करने बारे सूचित किया गया था परन्तु कुछ आबंटियों जिनका विवरण **परिशिष्ट "ख–4"** पर दिया गया है। द्वारा अन्तिम किश्त का भुगतान विलम्ब से किया गया। इस प्रकार विलम्ब से जमा की गई राशियों पर हिमुडा द्वारा नियमानुसार ब्याज की कोई भी वसूली नहीं की गई थी। नियमानुसार हिमुडा द्वारा इस तरह के मामलों में 14**%** की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाती है। इस प्रकार नियमों की अनदेखी करके आंबटियों से भुगतान में विलम्ब हेतु ब्याज के ₹141512/– कम वसूल किये गये थे। अतः नियमानुसार ब्याज की वसूली न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्याज की वसूली सम्बन्धित आंबटियों से तुरन्त की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.4 आंबटियों से वर्ष के अंत में वसूली योग्य राशि (मूल एवं ब्याज) को लेखा शीर्षक "Account Receivables/Debtors" में शामिल न करने बारेः–

वर्षांत 31.3.2013 को समस्त आंबटियों से उनको आंबटित प्लाटों/फ्लैटों से भविष्य में किश्तों के रूप में मूल प्राप्य राशि व विलम्ब से जमा राशियों पर प्राप्त ब्याज राशियों का कोई भी विवरण/शडयूल हिमुडा द्वारा न तो तैयार किया गया था और न ही इसे तुलन पत्र में सम्पति साईड के Account Receivables/Debtors" में शामिल किया गया था। चूकिं हिमुडा के अन्तिम खाते दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है इस आधार पर वर्षांत पर विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है तथा उनसे कितनी राशि प्राप्त करने हेतु शेष है का पूर्ण विवरण अन्तिम खातों में दिया जाना अपेक्षित है जिससे कि तुलन पत्र की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। परन्तु आंबटियों से प्राप्त योग्य मूल व ब्याज राशि का कोई भी विवरण/शडयूल तैयार न करना तथा इस राशि को तुलन पत्र में न दर्शाना अपने आप में एक गम्भीर मामला है जिसे हिमुडा के उच्चाधिकारियों के विशेष रूप से ध्यान में लाया जाता है। इसके साथ ही अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक वर्षांत को विभिन्न्न आंबटियों से प्राप्त योग्य मूल व ब्याज राशियों के विवरण/शडयूल तैयार

करके तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड के Account Receivables/Debtors" में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.5 आंबटियों की खाताबहियों का दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार रख–रखाव न करनाः–

आंबटियों की खातावहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता वहियों का रख–रखाव दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार उचित प्रकार नहीं किया गया था नियमानुसार जिन आंबटियों को फ्लैट/प्लाट का आंबटन किया गया उनसें जिस तिथि को राशि देय होगी उसकी प्रविष्टि डैबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है तथा इन्स्टालमैन्ट की राशि समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में उस पर देय ब्याज की प्रविष्टि भी डैबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है व आबंटित व्यक्ति से मूलधन व ब्याज की जितनी राशि शेष है उसकी प्रविष्टि खातावही के शेष कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आंबटियों से देय इन्स्टालमैन्ट की राशि की प्रविष्टि खाता वही के डेबिट कॉलम में नहीं की जा रही है न ही देय ब्याज की प्रविष्टि डेबिट कॉलम में की जा रही है आबटियों से कुल कितनी राशि वसूली हेतु शेष है उसकी प्रविष्टि भी खाता वहियों के शेष कॉलम में नहीं दशाई जा रही है। आंबटियों के खातों में दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार प्रविष्टि न करना एक गम्भीर अनियमितता है। यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में खाता वहियों का रख–रखाव नियमानुसार करने हेतु लाया जाता है ताकि खाताधारकों के खातों की उचित पड़ताल की जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएं।

9 तकनीकी अधिकरियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण करने के कारण ₹4.68 लाख का अधिक भुगतानः–

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी अधिकारियों के लिए Four Tier Pay Scale से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या Fin-(PR)B(7)-1/98-11 dated 23.6.2000 द्वारा अधिसूचित नियम C(ii) के अनुसार विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात ही किसी तकनीकी अधिकारी को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ दिया जायेगा। हिमुडा के तकनीकी अधिकारियों की सेवा पंजिका की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न मामलों में तकनीकी अधिकारियों ने विभागीय परीक्षा उतीर्ण नहीं की इस तथ्य के बावजूद इन अधिकारियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण का लाभ दिया गया। इस प्रकार हिमुडा द्वारा गलत वेतन निर्धारण करने के तकनीकी अधिकारियों को ₹468886/– का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग–1"** पर दिया गया है। इस सम्बन्ध में

हिमुडा को अंकेक्षण अधियचाना संख्या 178/2013 दिनांक 31.5.2013 द्वारा आवश्यक सूचना मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों की अनदेखी करके गलत वेतन निर्धारण करके ₹468886.00 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिसूचित नियम C (ii) के अनुसार हिमुडा के अन्य तकनीकी अधिकारियों के वेतन का निर्धारण नियमानुसार अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

9.1 विभागीय परीक्षा उर्तीण किए बिना तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एल0–5–66/99–प्रशा0 दिनांक 30.9.2003 के अनुसार हिमुडा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि हिमुडा के अभियन्ता एवं वास्तुकार इत्यादि तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तर्ज पर विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात होगी। परन्तु निम्न अधिकारियों को उक्त अधिसूचना/हिमुडा बोर्ड के निर्णय की अवहेलना करते हुए विभागीय परीक्षा उर्तीण किए बिना पदोन्नति प्रदान कर दी गई, जोकि अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला सचिव, हिमुडा के विशेष ध्यानार्थ एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता हैः–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमती	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना पदोन्नति की तिथि	विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की वास्तविक तिथि/माह	जिस पद से पदोन्नति हुई	जिस पद पर पदोन्नति हुई
1	अशोक गुप्ता	31.8.05	4/10	सहायक वास्तुकार	वास्तुकार
2	दीवान चन्द	24.8.07	4/10	सहायक वास्तुकार	वास्तुकार
3	अंजोरी कपूर	22.1.10	4/11	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता (तदर्थ आधार पर)

9.2 टाईपिंग टेस्ट पास किए बिना ₹19851/– राशि का वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किए जाने बारेः–

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लयू0पी0 15717/08 दिनाँक 21.05.2010 तथा 628/08 दिनांक 10.5.2010 में दिये गये निर्णय की अनुपालना में श्रीमती सुलोचना तथा श्रीमती सन्तोष चौहान दैनिक भोगियों को दिनाँक क्रमशः 1.7.2007 व 1.10.08 से लिपिक के पद पर वेतनमान ₹5910–20200+जी0पी0 1900 पर नियमित किया गया था। उक्त कर्मचारियों द्वारा टाईपिंग टेस्ट दिनांक 29.10.2010 को पास किया गया। वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी0 (7)–51/98, दिनांक 27.03.2002 के अनुसार लिपिक वर्ग को टाईपिंग टेस्ट पास करने के उपरान्त ही वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ देय हैं परन्तु उक्त कर्मचारियों को टाईपिंग टेस्ट पास किए बिना ही ₹19851/– की राशि का वार्षिक वेतन वृद्धि का Notinal Benefit के स्थान पर Financial Benefit दिया गया जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। भुगतान की गई राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग–2"** में दिया गया है। अतः वित्त विभाग के निर्देशों की अवेहलना करके कर्मचारियों को टाईपिंग टेस्ट पास किए बिना वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और साथ ही किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

9.3 अर्जित अवकाश भुनाने (Leave Encashment) ₹5134/– का अधिक भुगतानः–

श्री रोशन लाल नेगी, अधीक्षक ग्रेड–II दिनांक 31.7.2012 को सेवा निवृत हुए। सेवा निवृति पर कर्मचारी के अवकाश खाते में 300 दिन का अर्जित अवकाश जमा दर्शाया गया था परन्तु सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि कर्मचारी के अवकाश खाते में वास्तव में 297 दिन का अर्जित अवकाश जमा था। परन्तु अनियमित प्रकार से 300 दिन के अर्जित अवकाश को भुनाने के एवज में निम्न विवरणानुसार ₹5134/– की राशि का अधिक भुगतान किया गया। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट किए गए तथा किए गए अधिक भुगतान की राशि को न्यायोंचित ठहराया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(i) EL Encashment ={Basic Pay+DA (72%)/30}xUnavalied EL

(ii) Amount to be paid= {29850+21492/30}x297=₹508286

(iii) Amount actually paid={29850+21492/30}x300=₹513420

(iv) Excess amount paid=₹5134 (513420-508286)

9.4 श्री बंसी राम शर्मा, वरिष्ठ सहायक दिनांक 31.5.2012 को सेवा निवृत हुए। सेवा निवृति पर कर्मचारी के अवकाश खाते में 300 दिन का अर्जित अवकाश जमा था जिसे भुनाने के एवज में निम्न विवरणानुसार ₹1000/— की राशि का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट किए गए तथा किए गए अधिक भुगतान की राशि को न्यायोचित ठहराया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(i) EL Encashment ={Basic Pay+DA (58%)/30}xUnavalied EL

(ii) Amount to be paid= {28130+16315/30}x300=₹444450

(iii) Amount actually paid =₹445450

(iv) Excess amount paid=₹1000 (445450-444450)

10 "Advertisement Charges-Display" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹826250.00 की राशि को क्रेडिट करके "Service Charges" लेखा शीर्षक को मान्य लेखा सिद्धान्तों के विरूद्ध डेबिट किए जाने बारेः—

समायोजन वाउचर संख्या 159 दिनाँक 31.3.2013 ₹826256/— की पड़ताल करने पर पाया गया कि HIMUDA द्वारा "Advertisemment Charges- Display" को उपरोक्त समायोजन वाउचर संख्या 159 दिनांक 31.3.2013 द्वारा ₹826250/— से क्रेडिट किया गया था। जाँच करने पर पाया गया कि यह राशि "Advertisement Charges- Display" के अन्तर्गत प्रापत "Discount Received" से सम्बन्धित थी। जिसे प्राधिकारण द्वारा "Service Charges" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था जो कि पूर्ण रूप से मान्य लेखाँकन सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः "Discount Received" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त राशि को "Service Charges" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इसके अतिरिक्त मान्य सिद्धान्तों के अनुसार "Discount Received" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त राशि को वार्षिक लाभ हानि खाते के क्रेडिट साईड दर्शाया जाता है और साथ ही जिस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यह डिस्काऊंट प्राप्त किया गया है उसको लाभ हानि खाते के डेबिट साईड पूरी राशि के साथ दर्शाया जाता है। जिससे उस व्यय लेखा शीर्षक के अन्तर्गत व्यय की गई राशि की पूर्ण स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके। जबकि प्राधिकरण द्वारा लेखाँकन सिद्धान्त की अवहेलना करके विज्ञापनों पर प्राप्त डिस्काऊंट की राशि को "Advertisement Charges-Display" लेखा शीर्षक में से कम करके दर्शाया गया था। ऐंसा

करके प्राधिकरण द्वारा "Advertisement Charges-Dislay" लेखा शीर्षक को ₹826250/– से कम करके वार्षिक लाभ हानि खाते के डेबिट साईड दर्शाया गया था। अतः "Advertisement Charges-Display" लेंखा शीर्षक के अन्तर्गत किए गए वार्षिक व्यय को ₹826250/– से कम करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, साथ ही भविष्य में "Discount Received" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत डिस्काऊंट को मान्य लेखाँकन सिद्धान्तों के अनुसार ही दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.1 तुलन पत्र की विभिन्न मदों के आरम्भिक शेष में पिछले वर्ष की तुलना में अन्तर का दर्शाया जाने बारेः–

मान्य लेखाँकन सिद्धान्तों के अनुसार चालू वर्ष के आरम्भिक शेष का पिछले वर्ष के अन्तिम शेष के साथ मिलान होना चाहिए। अंकेक्षण में वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र के साथ संलग्न विभिन्न शैडयूल मे वर्णित विभिन्न मदों के आरम्भिक शेष के सम्बन्ध में जाँच करने पर पाया गया कि कई लेखा शीर्षकों के आरम्भिक शेष का पिछले वर्ष के अन्तिम शेष के साथ मिलान नहीं किया गया था। ऐसे सभी लेखा शीर्षकों का विवरण निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है।

लेखा शीर्षक	शैडयूल का विवरण	तुलन पत्र साथ शैडयूल में दर्शाया गया आरम्भिक शेष दिनांक 01.04.2012 के अनुसार	पिछले वर्ष के तुलन पत्र अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर
Other Liabilities	C, Sub Schedule-X	28080916.95	29366593.19	1285676.24
Workd in Prograss-Investment in Housing Scheme	E, Sub Schedulr-XXXIII	6661595165.14	6679943187.14	18348022.00
Work in Prograss Schedule- Receipt from Allotties (NVP)	E, Sub Schedule-XXXIII	1888414615.37	1943138694.37	54724079.00
Own Building	D	22114958.43	19051937.43	3063021

अतः पिछले वर्ष के तुलन पत्र की तुलना में चालू वर्ष के आरम्भिक शेष में अन्तर को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही अंकेक्षण की और से सुझाव दिया जाता है कि भविष्य इस तरह के अन्तर को स्वतः स्पष्ट विवरण द्वारा संलग्न शैडयूल में दिया जाए।

11 ग्रैच्युटी फंडः–

हिमुडा द्वारा ग्रैच्युटी फंड से सम्बन्धित बैलेन्स शीट अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत की गई। इस बैलेन्स शीट के सम्बन्ध में अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए अभिलेख की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गई।

लेखा शीर्षक	राशि	विवरण	टिप्पणी
Renewal of LIC Policy	138205	प्राप्ति एवं भुगतान खाते की भुगतान साईड दर्शाया गया है	यह राशि आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड लेखा शीर्षक "Renewal of LIC Policy" के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि से मिलान नहीं हो पाई जबकि मान्य लेखाँकन सिद्धान्तों के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाते की भुगतान साईड दर्शाई गई राशि का आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड दर्शाई गई राशि से मिलान होना चाहिए था। अतः मान्य लेखाँकन सिद्धान्तों की अनदेखी करने एवं इन राशियो के आपस में मिलान न होने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।
Renewal of LIC Policy	123085	आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड दर्शाया गया है	
Audit Fees	5618	आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड दर्शाया गया है	इन व्ययों के सम्बन्ध में कोई स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। न ही इस व्यय से सम्बन्धित कोई वाउचर अंकेक्षण में जाँच के लिए उपलब्ध करवाया गया। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
Legal Fees	2500	आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड दर्शाया गया है	

Interest on investment	9366653	आय एवं व्यय खाता की व्यय साईड दर्शाया गया है	इस आय के सम्बन्ध में कोई स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। न ही इस आय से सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण में जाँच के लिए उपलब्ध करवाया गया। जिसके अभाव में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
Gratuity Fund	98653356	बैलेन्स शीट के दायित्व साईड दर्शाया गया है।	इस fund से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट अभिलेख अंकेक्षण में जाँच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
Sh. Rajeev Sood, CA (Audit & Legal Fee)	40590	बैलेन्स शीट के दायित्व साईड "Current Liabilities" शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया है।	इस दायित्व बारे कोई सूचना/अभिलेख/स्वतः स्पष्ट विवरण जैसा कि यह राशि किस वर्ष से सम्बन्धित है नहीं दर्शाई गई थी। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
Birla Sun life Policy	12541663	बैलेन्स शीट के सम्पत्ति साईड "Investment" शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया है	इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सम्बन्ध में कोई स्वतः स्पष्ट विवरण/आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं

SBI life	9108650	बैलेन्स शीट के सम्पत्ति साईड "Investment" शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया है	करवाया गया। जिसके अभाव में इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण/आवश्यक अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए
Bajaj Allianz Policy	25202730	बैलेन्स शीट के सम्पत्ति साईड "Investment" शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया है	

11.1 ₹6.09 लाख की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के कंट्रीब्यूट्री प्रोविडेंट फण्ड में प्रावधानों के विपरीत जमा करनाः–

हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि माह 03/2013 तक ₹609857/– की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के कंट्रीब्यूट्री प्रोविडेंट फण्ड में जमा करवाई गई थी। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध कर्मचारियों के लिये कंट्रीब्यूट्री प्रोविडेंट फण्ड की कोई योजना लागू नहीं है, जबकि हिमुडा द्वारा इन कर्मचारियों के पक्ष में न केवल उक्त योजना को लागू ही किया बल्कि कर्मचारियों के अंशदान के समतुल्य नियोक्ता शेयर की राशि भी फण्ड में जमा की गई। परिणामस्वरूप माह 03/2013 तक कुल ₹609857/– की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के खातों में अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत जमा की गई जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः अनियमित प्रकार से एम्प्लायर शेयर की सी0पी0एफ0 में जमा राशि बारे अनुबन्ध के प्रावधानों के दृष्टिगत तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये अन्यथा इस प्रथा पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाये। इसके साथ ही इस प्रकार की समस्त राशि को हिमुडा के खातों में ब्याज सहित वापिस जमा किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जायेः–

क्र0सं0	अनुबन्ध कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	सी0पी0एफ0 खाता सं0	माह 03/2013 तक एम्प्लायर शेयर की जमा राशि (₹)
1	ओम चौहान, विधि सहायक	962	74454
2	अंकुश वर्मा, लिपिक	970	33702
3	भवन सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	981	38213

4	हिमाचल देवी, लिपिक	972	33956
5	दुगला, कनिष्ठ अभियन्ता	973	62045
6	विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	971	62055
7	राकेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	983	50532
8	राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	984	47832
9	उमेश सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	977	52916
10	विरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	978	52916
11	अजय सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	979	52516
12	जितेन्द्र पुरी, कनिष्ठ अभियन्ता	980	48320
	कुल		**₹609857**

11.2 ₹9.67 लाख प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान के रूप में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त न करनाः—

प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया दिनाँक 31.03.2013 तक हिमुडा के विभिन्न कर्मचारी अन्यों विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे जिनका विवरण निम्न दिया गया है। इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान की राशि जोकि दिनांक 31.3.13 तक ₹967137.83 बनती थी, जिसका विवरण निम्न वर्णित है, को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि उक्त प्राप्य राशि को हिमुडा के दिनाँक 31.03.2013 को तैयार तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड भी नहीं दर्शाया गया था जो कि दोहरी लेखाँकन प्रणाली के नियमों के विरूद्ध है। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित विभागों से तुरन्त प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा साथ ही इस प्रकार की समस्त प्राप्य राशि को तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड में दर्शाया जाये। कृत कार्यवाही से इस विभाग शीध्र अवगत करवाया जाये।

क्र0 सं0	विभाग का नाम जहाँ कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गये	प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री		दिनांक 31.03.2013 तक अन्य विभागों से ग्रेच्युटी अंशदान की प्राप्य राशि (₹)
1	एच0पी0एस0एस0सी0 हमीरपुर	i	राम प्रसाद, बेलदार	27037.81
		ii	किशोरी लाल, चौकीदार	35938.20
		iii	केवल राम, चौकीदार	72187.69

		iv	कुलदीप चन्द, बेलदार	35661.74
		v	सुरिन्दर कुमार, चपड़ासी	39352.40
2	डी0सी0 ऑफिस शिमला	i	बलदेव राज, बेलदार	35714.80
		ii	किरपा राम, बेलदार	33398.38
		iii	इन्द्र सिंह, बेलदार	27157.43
		iv	जयचन्द, बेलदार	33475.09
		v	सालिग राम, बेलदार	35825.39
3	आबकारी एवम् कराधान विभाग शिमला	i	रमेश चन्द, बेलदार	31472.79
		ii	हेत राम, बेलदार	31246.25
		iii	लछमी नन्द, बेलदार	47434.02
		iv	चन्दु राम, बेलदार	31356.38
		v	देस राज, बेलदार	109697.94
		vi	सुरेश कुमार, बेलदार	42532.33
		vii	अनिल कुमार, बेलदार	47873.40
		viii	नेगी राम, बेलदार	31357.20
		ix	इन्द्र देव नेगी, चपड़ासी	218418.59
			कुल	**967137.83**

12 पैन्शन फंडः–

हिमुडा द्वारा पैन्शन फंड से सम्बन्धित बैलेन्स शीट अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत की गई इस बैलेन्स शीट के सम्बन्ध में अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख की जाँच करने पर निम्न आपत्तियाँ दर्ज की गई।

12.1 ₹145.00 लाख की राशि को पैन्शन रोकड़ बही में विलम्ब से दर्ज करने बारेः–

हिमुडा द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्थापित "कर्मचारी समूह सेवानिवृति पैन्शन योजना/ट्रस्ट" जिसका भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा रख रखाव किया जा रहा है से सम्बन्धित रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पैन्शन खाते में चैक संख्या 146357, दिनाँक 31.3.12 द्वारा ₹10000000/– और चैक संख्या 035116, दिनाँक 29.03.2013 द्वारा ₹4500000/– की राशि जमा की गई थी। इन राशि में से ₹10000000/– की राशि को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 28 पर दिनाँक 10.5.12 को और ₹4500000/– की राशि को पृष्ठ

संख्या 180 दिनाँक 29.4.13 को रोकड़ बही में लेखाँकित किया गया था। जबकि मान्य वित्तीय लेखाँकन सिद्धान्तों के अनुसार सभी प्रकार के लेन–देन को उसी दिन रोकड़ बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित है जिस दिन वह वास्तव में किए गए हो। अतः वित्तीय लेखाँकन के मान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करके ₹14500000/– की राशि को विलम्ब से रोकड़ बही में दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किाय जाए व भविष्य में रोकड़ से सम्बन्धित प्रत्येक लेन–देन को उसी दिन रोकड़ बही में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस दिन वह वास्तव में किए गए हो।

12.2 पैन्शन निधि के वार्षिक लेखों के अन्त शेषों एवं प्रारम्भिक शेषों में ₹3.76 लाख की राशि अन्तर पाया जानाः–

चालू वर्ष के पैन्शन निधि के तुलन पत्र और प्राप्ति एवं भुगतान खाते की पिछले वर्ष के तुलन पत्र और प्राप्ति एवं भुगतान खाते से तुलना करने पर पाया गया कि इन खातों के वर्ष 2011–12 (अर्थात पिछले वर्ष) के अन्त शेष वर्ष 2012–13 (अर्थात चाूल वर्ष) के प्रारम्भिक शेषों से मेल नहीं करते थे जबकि मान्य वित्तीय लेखाँकन सिद्धान्तों के अनुसार सभी वार्षिक लेखों के अन्तशेष चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष से मेल होने चाहिए। पैन्शन खाते के वार्षिक लेखों के अन्त एवं प्रारम्भिक शेषों में ₹37552044/– की राशि का अन्तर पाया जाना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है। अतः पैन्शन खाते के वार्षिक लेखों के अन्त एवं प्रारम्भिक शेषों में पाये गए अन्तर को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही गत वर्ष 2011–12 के लेखों में आवश्यक सुघार करते हुये संशोधित वार्षिक लेखें तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाये तथा तदानुसार पाये गए अन्तर का समाधान भी किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित कि जाए।

क्र0सं0	वार्षिक लेखों का नाम	वर्ष 2011–12 में अन्तशेष	2012–13 में प्रारम्भिक शेष (₹)	अन्तर (₹)
1	तुलन पत्र (दायित्व साईड में Corpus Fund)	205750088	224542346	18792258
2	प्राप्ति एवं भुगतान खाता (Opening Balance)	शून्य	18759786	18759786
	कुल	**205750088**	**243302132**	**37552044**

12.3 ₹1270.62 लाख के भुगतान के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण का रख रखाव न करना:–

अंकेक्षण में प्रस्तुत प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा, लक्कड़ बाजार, शिमला के पत्र संख्या जी0एस0सी0ए0बी0/जी0–109, दिनाँक 7.11.2013 की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2012–13 के दौरान सेवा निवृत कर्मचारियों को ₹127062182/– का भुगतान पैन्शन तथा अन्य सेवा निवृत लाभों के रूप में किया गया था। इस भुगतान को तुलन पत्र के दायित्व साईड में Corpus Fund से तथा सम्पत्ति साईड में एल0आई0सी0 में किए गए निवेश से घटा कर दर्शाया गया था। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर अवगत करवाया गया कि उक्त भुगतान का पूर्ण विवरण एल0आई0सी0 कार्यालय द्वारा हिमुडा को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट विवरण एल0आई0सी0 कार्यालय से प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, साथ ही भुगतान का पूर्ण प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा, लक्कड़ बाजार, शिमला से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.4 दिनाँक 15.03.2003 के बाद नियमित किए गए हिमुडा कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के विपरीत पैन्शन योजना लागू किए जाए के कारण हिमुडा पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभार :–

हिमुडा के कर्मचारियों के लिए लागू पैन्शन योजना की जाँच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 477 कर्मचारियों के लिए कर्मचारी समूह पैन्शन योजना लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा के साथ दिनाँक 14.03.2008 को अनुबन्ध किया गया था और प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा को दिनाँक 31.03.2013 को ₹31.37 करोड़ का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न दिया गया है। इस अनुबन्ध के अनुसार 477 नियमित कर्मचारी व 58 दैनिक भोगी कर्मचारियों कि पैन्शन हेतु प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा को पैन्शन नियम 6–ए (1) के अनुसार 12% वार्षिक वेतन नियमानुसार का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(पैन्शन)–ए (3)–1/96, दिनाँक 17.8.2006 के अनुसार दिनाँक 15.5.2003 के पश्चात नियमित कर्मचारियों के लिए अंशदायी पैन्शन योजना लागू की गई। अंशदायी पैन्शन योजना हेतु नियोक्ता व कर्मचारी द्वारा 10% की दर से अंशदान किया जाता हैं

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा के साथ दिनाँक 14.03.2008 को किए गए अनुबन्ध की पड़ताल करने पर पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा 477 कर्मचारियों में 77 उन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था जो 15.05.2003 के बाद नियमित किए गए थे। नियमानुसार 15.05.2003 के पश्चात नियमित किए गए कर्मचारियों पर अंशदायी पैन्शन योजना लागू की जानी वाँन्छित थी। ऐसा करके प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा को 77 कर्मचारियों हेतु अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा 77 कर्मचारियों को अनियमित प्रकार से पैन्शन योजना का लाभ दिया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त 77 कर्मचारियों को अनियमित पैन्शन का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा भारतीय जीवन बीमा को 12**%** प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है यदि प्राधिकरण द्वारा इन कर्मचारियों को अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत लाया जाता तो इन कर्मचारियों हेतु प्राधिकरण को 10**%** प्रतिमाह की दर से भुगतान करना पड़ताल इस प्रकार 2**%** प्रतिमाह की बचत होती परन्तु ऐसा न करके इन 77 कर्मचारियों को भी कर्मचारी समूह पैन्शन योजना के अन्तर्गत लाया गया इससे प्राधिकरण को 2**%** अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा। अतः इस सम्बन्ध में लागू पैन्शन योजना की पूर्ण समीक्षा की जाए और अतिरिक्त वित्तीय दायित्व बारे जिम्मेवारी तय की जाए।

	Date of Payment	**Amount**
1	29.03.2008	80000000
2	11.11.2008	120000000
3	30.04.2009	10000000
4	31.01.2009	16275302
5	15.06.2009	6439698
6	30.10.2010	10000000
7	31.03.2010	51500000
8	31.01.2011	5000000
9	31.03.2012	10000000
10	31.03.2013	4500000
	Total	**313715000**

13 अंशदायी भविष्य निधि (C.P.F.)

अंशदायी भविष्य निधि (C.P.F.) तुलन–पत्र अवधि 2012–13 की जाँच–पड़ताल करने पर अंकेक्षण मे निम्न त्रुटियाँ व आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा लेखा सिद्धान्तों अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13.1 CPF Surplus A/C में ₹39.66 लाख की राशि का स्वतः स्पष्ट विवरण प्रस्तुत न करना:–

(क) अंशदायी भविष्य निधि (C.P.F.) तुलन पत्र के दायित्व (liability) में Current liability शीर्ष के अन्तर्गत CPF Surplus A/C में ₹37686992/– की राशि दर्शाई गई थी इस राशि के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/2014 दिनाँक 14.03.2014 द्वारा स्वतः स्पष्ट स्थिति विवरण देने हेतु कहा गया था। अंकेक्षण अधियाचना के प्रतिउत्तर में बताया गया कि हिमुडा की मेन बैलेन्स शीट से जनरल वाऊचर संख्या 161 द्वारा ₹24352488.92 जो पूर्व में "Interest receipt adjustable against interest payable on CPF" एवं "Reserve and Surplus" की ₹3966479.73 की राशि को मिलाकर एक नया लेखा शीर्षक "CPF Surplus" बनाकर दिनाँक 01.04.2012 को प्रारम्भिक शेष ₹24352488.92+₹3966479.73=₹28318968.65 दर्शाया गया था। लेखों की विस्तृत जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 की मेन बैलेन्स शीट में interest receipt adjustable against interest payable on CPF लेखा शीर्ष के अन्तर्गत Schedule-XI में ₹24352488.92 की राशि तो दर्शाई गई थी परन्तु शेष ₹3966479.73 जो "Reserve and Surplus" के रूप में स्थानान्तरित की गई के सम्बन्ध में कोई भी स्वतः स्पष्ट विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे कि Surplus A/C में हस्तांतरित की गई ₹3966479.73 का सत्यापन नही किया जा सका। अतः ₹3966479.73 के सन्दर्भ में स्वतः स्पष्ट विवरण आगामी अंकेक्षण में पूर्ण तथ्यों सहित प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त CPF Surplus A/C में ₹37686992/– को Current Liabilitiy के अन्तर्गत दर्शाया गया था जबकि मान्य लेखा सिद्धान्तों अनुसार Surplus A/C को Reserve and Surplus के अन्तर्गत दर्शाया जाना अपेक्षित है। अतः लेखों में लेखा सिद्धान्तों अनुसार आवश्यक सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

13.2 ₹84.54 लाख का दीर्धकाल से समायोजन न करनाः–

अंशदायी भविष्य निधि (C.P.F.) तुलन पत्र के दायित्व (Liability) में Current Liability शीर्ष के अन्तर्गत CPF board share payable A/C में ₹8454431.00 की राशि गत वर्षों से उक्त शीर्ष में दर्शाई जा रही है व इस मद का स्वतः स्पष्ट विवरण भी अंकेक्षण जाँच पड़ताल हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार न किए जाने एवं दीर्धकाल से इस राशि को समायोजित न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

13.3 अंशदायी भविष्य निधि (C.P.F) से सम्बन्धित Receipt and Payments A/C अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

अंशदायी भविष्य निधि (C.P.F.) तुलन पत्र के साथ Receipt and Payments A/C प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33/2014 दिनाँक 14.03.2014 द्वारा Receipt and Payments A/C प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक Receipt and Payments A/C प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वर्ष 2012–13 में कुल प्राप्तियों व भुगतान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

14 मांग सर्वेक्षण (Demand Survey) से सम्बन्धित पूर्वानुमानित ब्याज दायित्व ₹170.81 लाख को तुलन–पत्र/लेखों में परिलक्षित न करनाः–

हिमुडा के लेखों वर्ष 2012–13 के अवलोकन एवं जाँच–पड़ताल करने के दौरान पाया कि हिमुडा के लेखों में दिनाँक 31.03.2013 को ₹372686990/– लेखा शीर्ष "Demand Survey at various Places 2010-11" के अन्तर्गत दर्शाई गई थी। लेखों की विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया कि वास्तव में यह राशि हिमुडा द्वारा हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों/शहरी कस्बों में प्लॉट, फ्लैट व घरों की आवश्यकता के लिए भारत के नागरिकों से मांग सर्वेक्षण के अन्तर्गत आरम्भिक जमा राशि ₹5000/– प्रति प्रार्थना पत्र के रूप प्राप्त किए गए थे। मांग सर्वेक्षण योजना के वाउचर के निर्धारित नियम एवं शर्त संख्या 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि "No interest will be paid for the first one year on the initial deposit. The authority will, however allow interest @ 5% per annum for the period exceeding one year and up to the date of demand of full earnest money only. The benefit of the interest will be given to only those applicants who continue in the scheme." उपरोक्त शर्त के विस्तृत अवलोकन के पाया गया कि इस योजना के अन्तर्गत जमा राशि एक वर्ष तक अर्थात

30.4.2012 तक ब्याज देय नहीं था तथा उसके बाद "डिमांड सर्वे" शीर्ष के अन्तर्गत शेष जमा राशि पर ब्याज देय था। दिनांक 31.03.2013 तक उक्त शीर्ष में ₹372686990/– की राशि लेखों में जमा दर्शाई गई थी तथा ब्रौचर की निर्धारित शर्त संख्या 4 अनुसार जमा राशि पर 5**%** की दर से ₹17081487/– वाउचर देय था अर्थात भविष्य हेतु देय ब्याज का मान्य लेखा सिद्धान्तों अनुसार लेखों में प्रावधान किया जाना अपेक्षित था। अतः हिमुडा लेखों में देय ब्याज दायित्व ₹17081487/– को न दर्शाना, एक अति गम्भीर अनियमितता है जिस सम्बन्ध में औचित्य स्पष्ट किया जाए व मांग सर्वेक्षण (Demand Survey) के नियम एवं शर्तों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा लेखों में आवश्यक सुधार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

15 चालकों को विशेष भत्तें ₹14400/– का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान वेतन बिलों व सहायक अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित चालाकों को विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर ₹300/– प्रतिमाह के स्थान पर ₹700/– प्रति माह की दर से किया गया था। परिणामस्वरूप ₹14400/– की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न वर्णित है। चूकिं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चालकों को देय विशेष भत्ते की दर ₹300/– प्रति माह निर्धारित की गई है इसलिए अधिक दर से भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ऐसी कोई भी स्वीकृति अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई जबकि हिमुडा प्राधिकारी द्वारा अपने स्त्तर पर ही स्वीकृति प्रदान करके चालकों को अधिक दर से भुगतान कर दिया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012 के पैरा संख्य 16 में भी इस सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अतः पुनः किये गये अधिक भुगतान का तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये व इसे न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जाये। साथ ही भविष्य में विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जायें।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	अवधि	हि0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रतिमाह देय विशेष वेतन (₹)	विशेष वेतन का वास्तव में प्रति माह किया गया भुगतान (₹)	अन्तर	कुल किया गया अधिक भुगतान (₹)
1	सुरेश कुमार, चालक	01.04.2012 से 31.03.2013	300	700	400	4800
2	जगदीप, चालक	01.04.2012 से 31.03.2013	300	700	400	4800
3	राजिन्दर पाल, चालक	01.04.2012 से 31.03.2013	300	700	400	4800
			कुल योग			**14400**

16 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रूप में हिमुडा कर्मचारियों को ₹3615/– का अनियमित भुगतानः–

माह 03/2013 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रोकड़ बिल/वाउचर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बिल/वाउचर संख्या 2323 एवं माह 2325 माह 03/2013 में निम्न हिमुडा कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में कुछ अदेय दवाईयों अर्थात जिनका भुगतान नागरिक सेवा (चिकित्सा नियम) 1944 के अन्तर्गत देय नहीं था का भुगतान किया गया था जिसके कारण कर्मचारियों को ₹3615/– का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अदेय दवाईयों/टेस्ट का विवरण	राशि	टिप्पणी
1	श्री एम0एल0 मेहता, व0सहा0	विभिन्न टेस्ट	225	चिकित्सक की पर्ची दिनाँक 29.12.2012 अनुसार टेस्ट सुझाया गया था जबकि टेस्ट बिल संख्या 22945 दिनांक 22.12.2012 द्वारा करवाया गया था

				जो नियम अनुसार देय नहीं है
2	श्रीमती उषा, व0सहा0	Calciral sachet टेस्टः– Cortisol serum 460- Cortisolport Dexa 460-	324	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है।
3	श्री लोक चंद, व0सहा0	1)Mahabharingraj tail 2) Brihat vata chintarbhav ras	196 1400	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है।
4	श्री सुदामा राम ठाकुर	Syrup digetovin	70	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है।
5	श्री भूपिन्दर कुमार शर्मा	Univat chintavin ras	1400	चिकित्सा नियम अनुसार Gel देय नहीं है।
		Total	**3615**	

अतः अधिक भुगतान ₹3615/– को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए। चयनित माह में पाई गई त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव दिया जाता है कि वर्ष के शेष महीनों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जाँच पड़ताल विभागीय स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 दिनाँक 31.03.2013 को ₹1404/– मूल्य की डाक टिकटों का अन्तर पाए जाने बारेः–

हिमुडा, मुख्यालय के डाक टिकट रजिस्टर (Stamp Account Register) की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2013 को डाक टिकट रजिस्टर तथा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्शाये गए टिकटों के अन्त शेष में निम्न विवरणानुसार ₹1404/– मूल्य की डाक टिकटों का अन्तर पाया गया जो कि अनियमित है। अतः पाए गए अन्तर तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा इसका शीध्र समाधान करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाएः–

डाक रजिस्टर अनुसार दिनांक 31.3.2013 को टिकटों को शेष (₹)	प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिनांक 31.3.2013 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
33784	32380	1404

18 स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टरः–

फोटोस्टेट मशीन (जिराक्स 5834 एलवी) स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में 16 फोटोस्टेट रिमस की प्रविष्टियाँ न करनाः–

स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2012–13 के दौरान प्रतिलिपि यंत्रचालक को समय समय पर विभिन्न फोटोस्टेट रिम्स जारी किये गये परन्तु उक्त कर्मचारी द्वारा उनको जारी किये गये 16 रिम्स को फोटोस्टेट मशीन (न0 जिराक्स 5834 एलवी) के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में दैनिक आधार पर उपभोग किये गये कागजों का जारी किये गये रिम्स से मिलान नहीं किया जा सका। इस प्रकार फोटोस्टेट मशीन के स्टॉक रजिस्टर में उपयोग हेतु प्राप्त रिम्स की प्रविष्टियाँ न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये। अतः उपरोक्त रिम्स का अपेक्षित लेखाँकन/प्रविष्टियाँ फोटोस्टेट मशीन के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में किया जायें अन्यथा 16 रिम्स का ₹150/– प्रति रिम की औसत दर से ₹2400/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जायेः–

क्र0सं0	रिम जारी करने की दिनांक	पेपर साईज व जारी रिम्स की संख्या			कुल रिम्स जो जारी किये गये	औसत दर प्रति रिम (₹)	राशि (₹)
		एफएस	ए4	ए3			
1	02.05.2012	2	3	–	5	150	750
2	08.06.2012	4	3		7	150	1050
3	21.08.2012	1	–		1	150	150
4	27.08.2012		1		1	150	150
5	04.09.2012	2	–	–	2	150	300
						कुल	**2400**

19 बैंक समाधान विवरणः–

₹34656466.82 की राशि का बैंक समाधान न करना एवं ₹1790283.00 का उपयुक्त समाधान न करनाः–

वर्ष 2012–2013 के दौरान हिमुडा मुख्यालय द्वारा 19 विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों का परिचालन किया गया था। दिनाँक 31.03.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में केवल 16 बैकों की ही बैंक समाधान विवरणियाँ अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई, जिनकी विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया कि ₹34656466.82 की राशि का बैंक समाधान व ₹1790283.00 का उपयुक्त समाधान नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितता/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका पूर्ण विवरण आपत्तियों सहित निम्न दिया गया है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाएः–

1) स्टेट बैंक ऑफ इंडियाः–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़ बही अनुसार शेष**	**बैंक अनुसार शेष**	**अन्तर**
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2274773.71	1309178.71	965595.00

31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹9712/– के कालातीत हो चुके चैकों का समाधान न करनाः–

₹9712/– की राशि जो वर्ष 1999 से 2003 के दौरान जारी किए गए चैकों से सम्बन्धित थी तथा तथा जो वास्तव में कालातीत हो चुके थे का अंकेक्षण अवधि तक कोई भी समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹6055/– राशियाँ अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जानाः–

बैंक द्वारा निम्नलिखित राशियाँ अनुचित रूप से अधिक डेबिट की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाएः–

क्रमाँक	दिनांक	बैंक द्वारा अनुचित डेबिट/नाम डाली गई राशि	बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा की गई राशि	टिप्पणी
1	16.1.2004	2000		
2	17.5.2003	4055		
	कुल योग	**6055**		

(ग) ₹261851/– का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जानाः–

निम्नलिखित चैक/ड्राफ्ट बैंक में जमा करवाए गए परन्तु बैंक द्वारा इनके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया हैः–

क्रमाँक	चैक सं0/दिनांक व बैंक का नाम	चैक को बैंक में जमा करने की तिथि	राशि
1	448840 दिनांक 01.12.2004, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	04.12.2004	1494
2	349286 दिनांक 04.12.2004 आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक	04.12.2004	2283
3	ड्राफ्ट नं0 264724 दिनांक 03.07.2004	13.03.2004	257804
		कुल योग	**26158**

(घ) ₹593345/– का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जानाः–

निम्नलिखित राशियाँ प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी में मात्र डेबिट (–) की गई है अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा खाते के क्रेडिट/जमा में कम दर्शाई गई है तथा बैंक समाधान विवरणी में इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है न ही इन राशियों का कोई समाधान किया गया है। अतः बैंक द्वारा क्रेडिट न दिये जाने के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रमाँक	विवरण जैसा कि बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था	राशि
1	कोई विवरण नहीं दिया गया है	181023
2	कोई विवरण नहीं दिया गया है	298382
3	बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया है	113940
	कुल योग	593345

(ङ) ₹63174/– बैंक क्रेडिट राशियों का समाधान न करनाः–

निम्नलिखित राशियाँ बैंक समाधान विवरण में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक में तो जमा/केडिट थी परन्तु रोकड़ बही में ये राशियाँ जमा नहीं पाई गई न ही इन राशियों का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था। जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा अधिक क्रेडिट के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमाँक	राशि का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	वर्ष 2003–2004 में बैंक द्वारा दिया गया केडिट (पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है)	63174

2) पंजाब एंड सिंध बैंकः–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
पंजाब सिंध बैंक	348321.54	425139.54	76818

31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है

3) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकः– (खाता संख्या 168)

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	367790.22	394084.17	26293.95

31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹6872/– अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जानाः–

बैंक द्वारा वर्ष 2003–04 में ₹6872/– की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नाम की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंकः– (खाता संख्या 1255)

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	1092006	1060285	31721

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर ₹31721/–के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है।

5) एच0डी0एफ0सी0 बैंकः–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	1839046.27	2233899.21	394852.94

31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹133100/– के जमा करवाए चैक/ड्राफ्ट का बैंक क्रेडिट नहीं दिया जानाः–

₹133100/– के चैक/ड्राफ्ट बैंक मे ंजमा करवाए गए परन्तु बैंक द्वारा इनके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया हैः–

क्रमाँक	चैक संख्या/दिनांक व बैंक का नाम	चैक को बैंक में जमा करने की तिथि	राशि
1	6182 दिनांक 08.10.2006	08.10.2006	133100

अतः बैक द्वारा जमा करवाए गए ड्राफ्ट की राशि ₹133100/– का क्रेडिट न देने सम्बन्धी मामला बैंक प्राधिकारी से उठाया जाए व राशि को ब्याज सहित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैंक द्वारा वर्ष 2009–10 में ₹128900/– की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जानाः–

बैंक द्वारा वर्ष 2009–10 में ₹128900/– की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नाम की गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रम	दिनांक	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई है
1	07.08.2009	86400
2	09.10.2009	42500

अतः इस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹550000/– की बैंक में जमा राशियों को अनुचित रूप से unclassified (अनक्लासिफाईड) शीर्ष में समाधान करनाः–

₹550000/– की राशि जो दिनांक 23.09.2010 को बैंक में तो क्रेडिट/जमा पाई गई परन्तु रोकड़ बही में जमा नहीं की गई थी वर्तमान में इन राशियों का समाधान करके रोकड़बही में unclassified Receipts (अनक्लासिफाईड) /अवर्गीकृत आय शीर्ष के अन्तर्गत वाऊचर संख्या 2087 (ए) दिनाँक 13.03.2014 द्वारा जमा किया गया है। चर्चा के दौरान यह

बताया गया कि इन राशियों के प्राप्ति स्त्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अनुचित रूप से (अनक्लासिफाईड) unclassified शीर्ष में समाधान की गई राशियों सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए कि इन राशियों का वास्तविक स्त्रोत क्या है, के सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके खातों को व्यवस्थित किया जाए।

(घ) ₹102375/– की बैंक में जमा राशियों को अनुचित रूप से unclassified (अनक्लासिफाईड) शीर्ष में समाधान करनाः–

₹102375/– की राशि दिनाँक 04.08.2007 को बैंक में तो क्रेडिट/जमा पाई गई परन्तु रोकड़ बही में जमा नहीं की गई थी वर्तमान में इन राशियों का समाधान करके रोकड़ बही में Unclassified Receipts (अनक्लासिफाईड)/अवर्गीकृत आय शीर्ष क अन्तर्गत वाऊचर संख्या 2087 (ए) दिनाँक 13.03.2014 द्वारा जमा किया गया है। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि इन राशियों के प्राप्ति स्त्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अनुचित रूप से (अनक्लासिफाईड) Unclassified शीर्ष में समाधान की गई राशियों सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए व इन राशियों का वास्तविक स्त्रोत क्या है, के सम्बन्ध मे पूर्ण छानबीन करके खातों को व्यवस्थित किया जाए।

6) केनरा बैंकः–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
केनरा बैंक	1359378	1106169	253209

31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹7915/– के कालातीत हो चुके जारी चैकों का दिनांक 31.03.2013 तक समाधान नहीं किया जानाः–

₹7915/– की राशि जो वर्ष 2003–2004 के दौरान जारी किए गए चैकों से सम्बन्धित थी तथा जो वास्तव में कालातीत हो चुके थे का अंकेक्षण अवधि 31.03.2013 तक कोई भी समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹30000/– का बैंक समाधान न किया जानाः–

बैंक समाधान विवरणी में ₹30000/– बैंक द्वारा डेबिट की गई थी तथा रोकड़ बही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान कालम में नहीं पाई गई थी न ही इस राशि का कोई समाधान किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ₹30000/– का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाए या इस राशि का आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (हि0प्र0 सचिवालय शाखा):–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (हि0प्र0 सचिवालय शाखा)	1080325	1013457	66868

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹95000/– की राशि का समाधान न करनाः–

वाऊचर संख्या 3215 दिनाँक 08.02.2011 द्वारा 8842X5000=44210000 राशि के ड्राफ्ट/चैक डिमांड सर्वे प्राप्ति के अन्तर्गत बैंक में जमा करवाए गए थे परन्तु बैंक द्वारा ₹44115000/– की ही क्रेडिट की गई थी इस प्रकार ₹95000/–' की राशि बैकं में कम जमा पाई गई। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान बताया गया कि ₹95000/– राशि के ड्राुट/चैक बैंक द्वारा disgonor किए गए। अतः dishonor किए गए ड्राफ्ट/चैक का प्रमाण पत्र बैंक से प्रापत करके खातों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (छोटा शिमला शाखा):–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (छोटा शिमला शाखा)	1415552	14156722	120

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है।

9) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ईस्ट):–

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ईस्ट)	755159.31	806803.31	51644

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गई:–

(क) ₹49500/– राशि का समाधान न करना:–

₹49500/– की राशि बैंक समाधान विवरण में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ बैक मे तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़ बही में जमा नहीं थी। विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया कि बैंक में दिनाँक 16.01.2011 को ₹549500/– की राशि जमा थी परन्तु रोकड़ बही में ₹500000/– की राशि ही केडिट/जमा पाई गई। जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा अधिक क्रेडिट ₹49500/– की राशि के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹16688/– राशि का समाधान न करना:–

₹16988/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में डेबिट नहीं थी। विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया कि बैंक में दिनांक 21.09.2012 को ₹11030 व ₹5658 की राशियाँ नाम (डेबिट) की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10) पंजाब नैशनल बैंक (main):—

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न था:—

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
पंजाब नैशनल बैंक (main)	36068.74	10408.74	25660

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः—

(क) ₹5477/— राशि का समाधान न करनाः—

₹5477/— की राशि बैंक समाधान विवरण में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैक द्वारा डेबिट की गई थी। परन्तु रोकड़ बही में डेबिट नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹2370/— की राशि का समाधान न करनाः—

₹2370/— की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में डेबिट नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹21600/— की राशि के कालातीत हो चुके जारी चैकों का दिनांक 31.03. 2013 तक समाधान नहीं किया जानाः—

₹900/— व ₹20700 की राशि क्रमशः वर्ष 2005—06 व 2006—07 के दौरान जारी किए गए चैकों से सम्बन्धित थी तथा जो वास्तव में कालातीत हो चुके थें का अंकेक्षण अवधि 31.3.2013 तक कोई भी समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) ₹538000/– की राशि का समाधान न करनाः–

₹538000/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई थी परन्तु वास्तविक रूप से बैंक खाते में जमा नहीं थी जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभगा को अवगत करवाया जाए।

(ङ) ₹138000/– की राशि का समाधान न करना (चैक संख्या 598134 दिनांक 25.04.2007):–

₹138000/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में डेबिट नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यक लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) ₹138000/– राशि का समाधान न करना (चैक संख्या 598136 दिनांक 25.04.2007):–

₹138000/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ रोकड़ बही से डेबिट/घटाई गई थी परन्तु सम्बन्धित बैंक खाते में बैंक द्वारा डेबिट नहीं की गई थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यकत समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(छ) ₹12865/– की राशि का समाधान न करना :–

₹12865/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में डेबिट नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ज) ₹38400/– की राशि का समाधान न करना :–

₹38400/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ रोकड़ बही में जमा दर्शाई गई थी परन्तु वास्तविक रूप से बैकं खाते में जमा नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(झ) ₹39271/– की राशि का समाधान न करना :–

₹39271/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में डेबिट नहीं थी जिस सम्बन्ध में मामला बैक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ञ) ₹1435/– की राशि का समाधान न करना :–

₹1435/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ बही में डेबिट नहीं थी जिस सम्बन्ध में मामला बैक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ट) ₹99000/– की राशि का समाधान न करना :–

₹99000/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में घटाई गई थी अर्थात ये राशियाँ वास्तविक रूप से वर्ष 2009–10 में बैंक खाते में जमा दर्शाई गई थी परन्तु रोकड़ वही मे जमा नहीं थी। जिस सम्बन्ध में मामला बैक से उठाया जाए व पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ठ) ₹73626/– की राशि का समाधान न करना :–

₹73626/– की राशि बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशिया रोकड़ बही में वाउचर संख्या 4096 दिनांक 31.03.2010 को डेबिट/नाम दर्शाई गई थी परन्तु वास्तविक रूप से बैंक खाते में दर्ज नहीं थी जिस सम्बन्ध मे पूर्ण छानबीन करके

आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ड) ₹396000/– की राशि का बैंक में जमा राशियो ंको अनुचित रूप से Unclassified (अनक्लासिफाइड) शीर्ष में समाधान करना:–

₹396000/– की राशि जिनका विवरण निम्न दिया गया है, बैक में तो केडिट/जमा पाई गई परन्तु रोकड़ बही में जमा नहीं की गई थी अब इन राशियों का समाधान करके रोकड़ बही में unclassified receipts (अनक्लासिफाइड)/अवर्गीकृत आय शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक वाउचर संख्या 2087 (g) दिनांक 13.03.2014 द्वारा जमा किया गया है।

क्र0सं0	दिनांक जब यह राशियाँ बैंक में जमा पाइ गई	राशि
1	21.4.2010	99000
2	21.7.2010	99000
3	23.10.2010	990000
4	24.01.2011	99000
	कुल योग	**396000**

चर्चा के दौरान यह बताया गया कि इन राशियों के प्राप्ति स्त्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अनुचित रूप से (अनक्लासिफाइड) unclassified शीर्ष में समाधान की गई राशियों सम्बन्ध मामला बैंक से उठाया जाए व इन राशियों का वास्तविक स्त्रोत क्या है, के सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके खातों को व्यवस्थित किया जाए

(ढ) ₹23145/– की राशि का समाधान न करना:–

₹23145/– की राशि बैंक समाधान विवरण में जमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ वास्तविक रूप से वर्ष 2012–13 में बैंक खाते मे जमा दर्शाई गई थी परन्तु रोकड़ बही में जमा नहीं थी जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

दिनांक जब यह राशियाँ बैंक में जमा पाई गई	जमा का विवरण (बैंक सारणी अनुसार)	राशि
14.01.2013	Cash deposit at parwanoo	20720
14.01.2013	Cash deposit at parwanoo	2425
	कुल योग	**23145**

उपरोक्त के सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन करके आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11) आईडीबीआई बैंक (IDBI)

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
आईडीबीआई बैंक (IDBI)	941238	974238	33000

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है।

12) Indusind बैंक

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
Indusind बैंक	2164182.50	4402780.75	2238598.25

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जाँच में निम्न आपत्तियाँ पाई गईः–

(क) ₹58526/– का समाधान न करनाः–

बैंक समाधान विवरणी अनुसार ₹58526/– की राशि विभिन्न तिथियों को बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड बही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान कालम में नहीं पाई गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

क्रमाँक	दिनांक	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई थी	टिप्पणी
1	16.4.2010	500000	बैंक द्वारा चैक संख्या 570119 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया

2	23.12.2010	2352	बैंक द्वारा चैक संख्या 352716 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया
3	02.11.2010	6174	बैंक द्वारा चैक संख्या 352639 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया
	कुल योग	**58526**	

उपरोक्त राशियों का कोई भी समाधान लेखों मे नहीं किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ₹58526/– का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाए या इस राशि का आवश्यक सामधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹20000/–की राशि का समाधान न करनाः–

₹20000/–राशि बैंक समाधान विवरणी में डेबिट (–) की गई थी अर्थात ये रोकड़ बही में प्राप्ति/क्रेडिट है परन्तु बैंक में क्रेडिट नहीं पाई गई है। अतः इस राशि का समाशोधन बैंक से क्रेडिट लेने हेतु किया जाए या वास्तविक स्थिति अनुसार समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹10000/–की राशि का समाधान न करनाः–

₹10000/–राशि बैंक समाधान विवरणी मे ंजमा की गई थी अर्थात ये राशियाँ दिनांक 03.05.2011 को बैंक द्वारा तो जमा/क्रेडिट दर्शाई थी परन्तु रोकड़ बही में ये राशियाँ जमा नहीं पाई गई जोकि अपने–आप मे ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा क्रेडिट दर्शाई गई राशियों के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला	287257	334745	47488

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है।

14) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (मुख्य शाखा खाता संख्या 55012850093)

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, (मुख्य शाखा)	29286.95	39556.95	10270

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर ₹10270/– के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी में निम्न आपत्तियाँ पाई गई जिनका समाधान किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(क) ₹18325/–के कालातीत हो चुके जारी चैकों का दिनांक 31.3.2013 तक समाधान नहीं किया जानाः–

₹18325/–की राशि जो वर्ष 2001–2002 के दौरान जारी किए गए चैको से सम्बन्धित थी तथा जो वास्तव में कालातीत हो चुके थे का अंकेक्षण अवधि 31.03.2013 तक कोई भी समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैंक द्वारा वर्ष 2001–02 में ₹5305 की राशि का अनुचित रूप डेबिट/नाम किया जानाः–

बैंक द्वारा वर्ष 2001–02 ₹5305/– की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नाम रूप से की गई थी जिसका विवरण निमनलिखित हैः–

क्र0	दिनांक	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई है
1	24.5.2001	1865
2	13.8.2001	1500
3	11.3.2003	1865
4	As per statement	75

अतः इस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) खाते में नियमित लेन–देन न करने के कारण ₹2750/– की राशि का बैंक द्वारा प्रभार लगाया जानाः–

बैंक में नियमित लेन–देन न करने के कारण वर्ष 2008–2009 से 2012–2013 तक ₹2750/– का बैंक द्वारा प्रभार लगाया गया था विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया कि बैंक द्वारा उक्त प्रभार ₹550/– प्रति वर्ष लगाया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि यदि बैंक में कोई लेन–देन नहीं किया जा रहा है तो खाते को बंद किया जाना ही उचित होगा।

15) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ बही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला	8065.14	7980.14	85

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ बही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अन्तर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरण जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है।

16) यूको बैंक, निगम बिहार

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
यूको बैंक, निगम बिहार	5145544.01	13452546.54	8307002.53

31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर ₹8307002.53 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17) एक्सीस बैंक (axsis Bank) कुसुम्पटी

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
एक्सीस बैंक (axsis Bank) कुसुम्पटी	2190916.45	15498489.75	13307573.30

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर ₹13307573.30 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
यूनियिन बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला	57313315.63	46199325.48	11113990.15

31.3.2013 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर ₹11113990.15 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19) पंजाब नैशनल बैंक, कुसुम्पटी, शिमला

दिनांक 31.3.2013 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
पंजाब नैशनल बैंक, कुसुम्पटी, शिमला	21571.84	बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	

1.3.2012 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष का 31.3.2013 को सत्यापन नहीं किया जा सका, न ही यह पता लगाया जा सका कि रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में वास्तविक रूप में कितना अंतर है जो अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बैंक समाधान विवरणी आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

वित्तीय वर्ष 2012–13 का तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) हिमुडा अधिकारियों द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/Accts-319/BSS-2012 dated 19.03.2014 से निर्देशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किया गया था और उसके उपरान्त वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र की उसके साथ शैडयूलस के साथ जॉच की गई। जॉच के दौरान पाया गया कि तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) की कुछ मदों, जिनका विवरण निम्न दिया गया है, के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण, साथ संलग्न शैडयूल में नहीं दिये गए थे।

Head of Account	**Schedule**	**Item No.**	**Amount**	**Dr/Cr**	**Remarks**
Repayment of excess on account of valuation of Assets & Liabilities (NVP) (Paid to HP Govt.)	A	3 (vi)	(-)14,00,00,000	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Provisions for liabilities anticipated work of various colonies	C	4,5,6,7,11,12,13,15,16,17	3,03,01,881.33	Cr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Works completed in hand	E	A(5)	4,48,08,972.53	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Material for works in stores	E	A(6)	2,83,68,934.33	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Material for works in stores (NVP)	E	A(7)	39,35,946.68	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Other Misc. Asvance (NVP)	E	B(10)	87,45,915.24	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Cash in Transit	E	A(11) (ii)	37,02,002.00	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Cost of scale Receviable	E	B (12)	4,03,47,249.78	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Suspense Account	E	B (30)	5,76,425.00	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Rectification	E	B (31)	3,15,01,840.24	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

20.1 शैडयूल "A" Reserve and surplus

(i) Capital Reserve लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4.27 Crore का अन्तरः—

शैडयूल "A" में लेखा शीर्षक Capital Reserve {(item No. 1 (i)} का Opening Balance ₹123.05 करोड़ दर्शाया गया था। जबकि पिछले वर्ष की Balance Sheet में इस लेखा शीर्षक का closing Balance और पिछले वर्ष के closing Balance में ₹4.27 करोड़ का अन्तर था। मान्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी लेखा शीर्षक का पिछले वर्ष का closing Balance चालू वर्ष के Opening Balance के साथ मेल होना चाहिए। अंकेक्षण में जाँच में पाया गया कि हिमुडा द्वारा इस वर्ष दो फंड जैसे कि ग्रेच्युटी फंड और सीपीएफ की अलग Balance Sheet तैयार की गई है जबकि पूर्व के वर्षों में यह दोनों फंड मुख्य Balance शीट का एक ही भाग होते थे। चूकि वर्तमान में इन दोंनों फंडों की Balance Sheet अलग बनाई गई है इसलिए इन फंडों से सम्बन्धित राशियों जैसे की ₹3.87 करोड़ ग्रेच्युटी निधि के लिए और ₹0.39 करोड़ Contributory Provident Fund के लिए Capital Reserve लेखा शीर्ष से घटा कर सम्बन्धित फंड की Balance Sheet में हस्तांतरित किया गया है।

(ii) लेखा शीर्षक Reserve & surplus (NVP) और "Grant-in-Aid (NVP) की तुलना में लेखा शीर्षक "Repayment of excess on account of valuation of Assets & Liabilities (NVP) में ₹49000000.00 अधिक दर्शाया जानाः—

शैडयूल "A" में लेखा शीर्षक Reserve & surplus (NVP) और "Grant-in-Aid (NVP) (मद संख्या 1 (ii) और 3 (V) के अन्तर्गत कुल ₹9.10 करोड़ (44469084.29+46559000=91028084) दर्शाये गए थे। जबकि लेखा शीर्षक "Repayment of excess on account of valuation of Assets & Liabilities (NVP)" Item No 3 के अन्तर्गत राशि ₹14.00 करोड़ दर्शाये गए थे। इस प्रकार कुल 4.90 करोड (14.00 करोड–9.10 करोड=4.90 करोड) की राशि का इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत अधिक भुगतान की गई प्रतीत होता है। इस अधिक भुगतान को नगर विकास प्राधिकरण के लेखों के समायोजन के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त उचित सत्यापन के उपरान्त Reserve & surplus (NVP) और "Grant-in-Aid (NVP) के अन्तर्गत दर्शाई गई कुल राशि ₹91028084.00 को भी न्यायोचित ठहराया जाए।

(iii) ₹36616025.17 की राशि को स्वतः स्पष्ट विवरण के बिना Reserve and surplus Schedule के अन्तर्गत दर्शाया जानाः–

हिमुडा के वार्षिक लेखों में Reserve and surplus Schedule-A के कम संख्या 2 पर "Interest Redemption Account" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹36616025.17 की राशि वर्ष 2002–03 से लगातार दर्शाई जा रही है। यह लेखा शीर्षक हाऊसिंग कलोनियों के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए Loan/Bank Overdraft के interest हेतु बनाया गया था, जो कि वर्षों पहले पूर्ण हो चुकी है। साथ ही Loan/Bank Overdraft का Interest वार्षिक आधार पर पूर्ण हो चुकी हाऊसिंग कलौनियों को चार्ज किया जा चुका है। इस प्रकार इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को बैलेन्स शीट के दायित्व पक्ष की और दर्शाने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक की वह वास्तव में अस्तित्व में न हो। अतः वास्तविक स्थिति की जॉच के उपरान्त अंकेक्षण को वास्तविक तथ्यों से अवगत करवाया जाए और इस दायित्व का समायोजन मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाए।

(iv) "Provisions of allocation of interest" की राशि ₹803048 को अनियमित रूप से लेखा शीर्षक "Grant utilized for development/acquisition" (Schedule"A" item No. 3 (iii) के अन्तर्गत समायोजित किया जानाः–

₹14650000.00 की राशि पिछले कई वर्षों से लेखा शीर्षक "Grant utilized for development/and acquisition" (Schedule"A" item No. 3 (iii) के अन्तर्गत बैलेन्स शीट में दर्शाई जा रही है। इस राशि में ₹803048 (454010+349038=803048) की राशि भी शामिल है जो की लेखा शीर्षक हाऊसिंग कलौनी मंडी और धर्मशाला के "Allocation of interest" से सम्बन्धित है। हाऊसिंग कालौनी से सम्बन्धित ब्याज उसी हाऊसिंग कालौनी के कुल खेर्चे से चार्ज किया जाना चाहिए था। अतः वास्तविक स्थिति की जॉच के उपरान्त अन्तिम लेखों में आवश्यक सुधार किया जाए।

20.2 शैडयूल "B" Secured Loans:-

(i) ₹67784000 HUDCO ऋण की वापसी को भुगतान मद के अनुसार न दर्शाया जानाः–

शैडयूल "बी" जो की तुलन पत्र में Secured Loans राशि ₹49442411 की स्थिति को दर्शाती है, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह राशि ₹87629000 थी यह राशि हुड़को ऋण गवर्नमेन्ट ऋण स्कीम से सम्बन्धित थी। हुडको ऋण से सम्बन्धित ऋण स्टेटमेन्ट की जॉच से

यह पता चलता है कि ₹67784000 की ऋण राशि की वापसी का भुगतान हिमुडा द्वारा हुडकों को इस वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया परन्तु इस ऋण स्टेटमेन्ट/विवरण से यह पता नहीं चलता की कितनी राशि का भुगतान हिमुडा द्वारा अपनी स्कीम हेतु और कितना भुगतान गवर्नमेन्ट ऋण स्कीम की वापसी हेतु किया गया था। अतः ऋण वापसी का स्कीम वाईस वर्णन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और साथ ही तथ्योंनुसार लेखों में आवश्यक सुधार किया जाए।

(ii) लेखा शीर्षक Interest Payable on Govt. Loan के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹34009411/– की राशि को Current Liabilities-Schedule-C के अन्तर्गत न दर्शा कर गलत ढ़ंग से Secured Loan-Schedule-B के अन्तर्गत दर्शाने बारेः–

तुलन पत्र के साथ संलग्न शैडयूल–B-Securred Loan की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस शैडयूल में item No. B(3) पर लेखा शीर्षक Interest Payable on Govt. Loan के अन्तर्गत ₹34009411/– की राशि दर्शाई गई थी। जोकि Interest Payable on Govt. Loan से सम्बन्धित थी जिसे तुलन पत्र के साथ संलग्न Schedule-C-Current Liabilities and Provisions के अन्तर्गत दर्शाया जाना था। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार किया जाए अन्यथा न्यायोचित ठहराया।

20.3 शैडयूल "C" (Current Liabilities and Provisions):-

(i) ₹1.03 करोड की राशि का समायोजन न करना व बिना स्वतः स्पष्ट विवरण दिये विभिन्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जानाः–

तुलन पत्र के लेखा शीर्षक Current Liabilities And Provisions शैडयूल "C" एवं खाता वही की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1.03 करोड़ की राशि को बिना स्वतः स्पष्ट विवरण के निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था। जॉच करने पर यह भी पाया गया कि कई राशियॉ विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित है। अतः स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न किए जाने एवं दीर्घकाल से इस राशि को समायोजित न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त आपत्ति आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाई जाती है।

क्र0सं0	लेखा शीर्षक	राशि (₹) लाखों में	मद सं0	टिप्पणी
1	Material Purchase A/C	1.51	4	वर्ष 2005–06 से पहले के

				वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
2	Sundry Creditors	2.37	5	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
3	Provision for arbitration/works	6.38	11	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
4	Stock Adjustment Account	2.56	12	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
5	I&PH Department for WSS	17.82	13	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
6	"Contractors Deposit" (NVP)	57.58	15	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
7	Mise Recoveries	1.53	16	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
8	R& D Adjustment	3.69	17	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।

9	Development fund under Apartment Act	10.08	23	वर्ष 2005—06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
	कुल योग	**103.52**		

(ii) (–) ₹255540798.30 की राशि को "Initial Deposit/Earnest Money" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत गलत तरीके से समायोजित किया जाना और "Initial Deposit/Earnest Money & Security" लेखा शीर्षक का स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार न करनाः—

शैडयूल "C" में मद संख्या 1 और 3 जोकि लेखा शीर्षक "Initial Deposit/Earnest Money" और "Security Account" के अन्तर्गत कुल दायित्व ₹522238846.69 (460324684.50+61914162.19=₹522238846.69) की राशि दर्शाई गई थी। जॉच करने पर पाया गया कि यह राशि "Initial Deposit/Earnest Money" लेखे से सम्बन्धित थी और इस राशि में (–) 253026152.28 की राशि भी समायोजित की गई थी। "Initial Deposit/Earnest Money" लेखे से सम्बन्धित यह घटाई गई (माईन्स) राशि हिमुडा की कई कालौनियों से सम्बन्धित थी, परन्तु इस सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं बनाया गया था, जिसकी अनुपस्थिति में इस राशि की पूर्ण जॉच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में "Initial Deposit/Earnest Money" लेखें से सम्बन्धित प्रत्येक राशि का स्वतः स्पष्ट विवरण शीध्र तैयार करके हिमुडा अपने स्त्तर पर उचित सत्यापन करके उचित कदम उठाए जाए।

(iii)₹657504053.45 के अग्रिम को विभिन्न विभागों से प्राप्त करने के उपरान्त डिपोजिट वर्क्स को न किया जानाः—

तुलन पत्र 2012—13 के Shedule "C" Current Liabilities & Provisions की मद संख्या 18 Advance Payment against Deposit Works की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹657504053.45 की राशि हिमुडा द्वारा विभिन्न विभागों से विभिन्न deposit works हेतु दिनांक 31.3.2013 तक अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई थी जिसका पूर्ण विवरण तुलन पत्र के शैडयुल संख्या IX पर दिया गया था। इस शैडयूल संख्या IX के निरीक्षण से यह भी पता चलता है कि हिमुडा द्वारा विभिन्न विभागों से डिपोजिट वर्क हेतु अग्रिम तो प्राप्त किया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2013 तक इस सम्बन्ध में कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। यदि इन अग्रिमों के सम्बन्ध में समय पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाता तो बदले में हिमुडा को इन विभागों से 17**%** की दर से विभागीय शुल्क/प्रभार प्राप्त होता। इस प्रकार हिमुडा को

विभागीय शुल्क/प्रभार की परोक्ष हानि हुई। अतः यह मामला हिमुडा उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

20.4 शैडयूल "D" "Fixed Assets-Own Building"

(i) Rest house at Strawberry Hill को बेचने के बाद भी उसकी बुक वैल्यू को "Own Building" लेखा शीर्षक से समायोजन न करने के बारेः–

शैडयूल –D में लेखा शीर्षक "Own Builiding" के अन्तर्गत रेस्ट हाउस एड स्टार्बरी हिल्स जोकि हिमुडा द्वारा वर्ष 2004/05 में बेचा जा चुका है, की रिट्टेन डाऊन वैल्यू (Wdv) जोकि ₹93349.29 थी को भी "Own Builiding" के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इस स्थिति के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि इस मामलें में आवश्यक छानबीन के उपरान्त रेस्ट हाउस एड स्टार्बरी हिल्स के सम्बन्ध में "Own Builiding" में आवश्यक समायोजन किया जाए ताकि बैलेन्स शीट एक सही स्थिति प्रदर्शित कर सके। साथ ही यह सुझाव भी दिया जाता है कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा "Own Builiding" लेखा शीर्षक का प्रत्यक्ष सत्यापन अपने तौर पर किया जाए और लेखों में उसी अनुसार लेखाँकन किया जाए।

20.5 शैडयूल "E" "Current Assets, Loans & Advances

(i) "Work in Progress Account" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि ₹8606665937.82 और "Receipt from allottees" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि ₹8073146236.87 का समायोजन न किया जानाः–

(क) शैडयूल "E" "Current Assets की जांच करने पर पाया गया कि मद संख्या A1 (i) जो कि कुल ₹8606665937.82 है लेखा शीर्षक "Work in Progress c/o Buildings" के अन्तर्गत दर्शाई गई थी जबकि अधिकतर हिमुडा कालौनियों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और इन हिमुडा कालौनियों को बेचा भी जा चुका है, और मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हिमुडा कालौनियों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद लेखा शीर्षक "Work Completed in hand" को डेबिट और "Work in Progress" लेखा शीर्षक को क्रेडिट किया जाना चाहिए था। इस प्रकार हिमुडा कालौनियों की फाइनल कोस्टिंग को फ्लैट/प्लॉट की बिक्री मूल्य से समायोजित किया जाना चाहिए था, और साथ ही लेखा शीर्षक "Assets in Hand" और फाईनल कोस्टिंग ऑफ फ्लैट/प्लाट को फ्लैट/प्लाट की बिक्री मूल्य से घटाने के बाद शेष को लाभ हानि खाते में समायोजित किया जाना चाहिए था परन्तु जॉच के दौरान पाया गया कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया था पूर्ण हो चुकी/बिक्री हो चुकी हिमुडा कालौनियों की लागत को

भी लेखा शीर्षक "Work in Progress" के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा था जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है कि वह हिमुडा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करे ताकि भविष्य में आवासीय कालौनियों की लागत को फाईनल किया जा सके।

(ख) इसके साथ ही शैडयूल "E" में एक और राशि ₹8073146236.87 जोकि "Receipt from Allottees" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत थी, को आवासीय कालौनियों की लागत से घटाया से गया था। इस राशि (Receipt from Allottees) को बैलेन्स शीट के "Current Liabilities" के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि उपरोक्त (क) में वर्णित किया गया है आवासीय कालौनियों की लागत को फाइनल नहीं किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त इस लेख शीर्षक से सम्बन्धित शैडयूल की जाँच करने पर पाया गया कि Housing Scheme Enhanced Land Head Office लेखा शीर्षक के अन्तर्गत माईन्स (–) 88737348.14 की राशि समायोजित की गई थी। जिसे बैलेन्स शीट के Current Liabilitiess शैडयूल के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक सुधार किया जाए अन्यथा न्यायोचित ठहराया।

(ii) "Work in progress as per percentage completion method" लेखा शीर्षक अन्तर्गत दर्शाये गए "Accumulated deemed profits" ₹1005990947.14 को समायोजित न करने बारेः–

हिमुडा के वार्षिक लेखों अवधि 2012–13 की जॉच करने पर पाया गया कि लेखा शीर्ष "वर्क इन प्रोग्रैस एज पर परसैंटेज कम्पलीशन मैथड" के अन्तर्गत ₹1005990947. 14 की राशि शैडयूल "E" मद संख्या A(3) पर दर्शाई गई है। यह राशि वर्ष 2003–04 से 31.3.2013 तक हिमुडा द्वारा प्रत्येक वर्ष के वर्क इन प्राग्रैस में से प्रतिशतता के आधार पर लाभ हानि खाते में आय/लाभ के रूप में दर्शा कर इतनी ही राशि उपरोक्त वर्णित लेखें को वास्तविक समायोजन किए जाने तक लेखबद्ध की जा रही है। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि वर्ष 2003–2004 से वर्तमान तक पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की फाईनल कौस्टिंग नहीं की गई थी हिमुडा द्वारा अनुमान के आधार पर दर्शाई गई प्राप्ति/आय के अनुसार आयकर विभाग को प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये का भुगतान किया गया परन्तु वास्तविक लाभ निकालकर आवश्यक समायोजन किए जाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप लाखों रूपये का भुगतान अनुमानित आय पर किया गया। यह भी सम्भावित है कि अनुमानित प्रतिशतता के आधार पर निर्मित कालौनी का आंका गया लाभ, वास्तव में कम अथवा हानि के रूप में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आयकर का भुगतान भी प्रभावित हो सकता है।

यद्यपि पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह आपत्ति उठाई गई थी फिर भी इस सम्बन्ध में कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए है। अतः वर्ष 2012–13 तक जिन कालौनियों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है। उन कलौनियों की अन्तिम लागत निर्धारणोंपरान्त वास्तविक लाभ/हानि की गणना हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) "Work Completed in hands" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹44808972.53 की राशि को समायोजित न करने बारेः–

बैलेन्स शीट के शैडयूल–E में मद संख्या A(5) पर लेखा शीर्षक Work Completed in hands के अन्तर्गत ₹44808972.53 की राशि वर्ष दर वर्ष दर्शाई जा रही है। जोकि हिमुडा के ऐसे वर्क से सम्बन्धित है जो पूर्ण हो चुके है या शायद बेचे भी जा चुके हो, परन्तु जिनकी लागत को लेखों मे समायोजित नहीं किया गया है। अतः इस समब्न्ध में हिमुडा को सुझाव दिया जाता है Work Completed in hand के अन्तर्गत दर्शाई गए वर्क के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाए। जिससे वास्तविक स्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान हो सके और उसी अनुसार लेखों में समायोजन किया जाए।

(iv) "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹3702002 को समायोजित न करने बारेः–

बैलेन्स शीट में "Current Assets" शीर्ष में शैडयूल "E (Sub-Schedule xxvi" में मद संख्या A-11(ii) पर लेखा शीर्षक "Cash in Transit" के अन्तर्गत ₹3702002 की राशि दर्शाई गई थी। जॉच में पाया गया कि इस मद से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट अभिलेख वार्षिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया था। अतः इस मद से सम्बन्धित आवश्यक विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया जाता है कि डिविजन लैबल पर बनाए गए लेखों से इस लेखा शीर्ष को समायोजित किया जाए।

(v) "Deposit Works" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत खर्च की गई ₹21679975 की वसूली हेतु समयबद्ध प्रयास न किया जानाः–

हिमुडा के वार्षिक लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि बैलेन्स शीट के श्शैडयूल "E" Sr. No. B (1 to 4) पर लेखा शीर्षक "Recoverable against deposit works" के अन्तर्गत ₹21679975/– की राशि दर्शाई गई थी। हिमुडा द्वारा डिपोजिट वर्क के आधार पर विभिन्न विभागों/निगमों के निर्माण कार्यों का निष्पादन अग्रिम राशियों की प्राप्ति के बिना

किया गया था। सी0पी0डब्लयू0डी0 मैनुअल के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दायित्व सृजन से पूर्व वसूल की जानी वांन्छित थी परन्तु हिमुडा अधिकारियों द्वारा इसके विपरीत विभिन्न विभागों/विभिन्न निगमों के डिपोजिट कार्य बिना राशियों की प्राप्ति के ही किया गया। जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2012–13 में ₹21679975 की राशि के कार्य सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से बिना धन राशि की प्राप्ति के ही कर दिए गए। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व वर्षों में बार–बार प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन में यह गम्भीर आपत्तियॉ उठाई थी फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा इसके समाधान हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए। अनेक प्रकरणों में राशियॉ वसूली हेतु लम्बित चली आ रही है, जैसा की पुलिस विभाग, नवोदय, विद्यालय एवं गवर्नमैन्ट रैंटल हाऊसिंग स्कीम के मामले में। उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

(vi) ₹37623083.52 के स्टॉफ अग्रिम और अन्य विविध अग्रिमों को लम्बी अवधि के उपरान्त भी समायोजित न किया जानाः–

शैडयूल"E" मद संख्या B(8 & 9) लेखा शीर्षक "Staff Advances and Other Miscellaneous Advances" के अन्तर्गत ₹37623083.52 की राशि दर्शाई गई थी। जॉच करने पर पाया गया कि यह राशि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत पिछले कई वर्षों से दर्शाई जा रही थी परन्तु इस राशि को समायोजित करने के कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे है अतः इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को समायोजित करने के समयबद्ध प्रयास किए जाने चाहिए और साथ ही इन देय अग्रिमों के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार किया जाए जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) "Cash Settlement Suspense Account" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि ₹6569400.73 को समायाजित न किया जानाः–

शैडयूल "E" मद संख्या B (11) लेखा शीर्षक "Cash Settlement Suspense Account" के अन्तर्गत ₹6569400.73 की राशि को दर्शाया गया था। यह लेखा शीर्षक हिमुडा और उसके विभिन्न निर्माण मण्डलों के बीच "Cash Settlement Suspense Account" को समायोजित नहीं करने को स्पष्ट करता है। वर्षवार CSSA (Cash Settlement Suspense Account) सारणी जिसका विवरण निम्न दिया गया है जो यह दिखाता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि लगातार बढ़ती जा रही है जबकि मान्य लेखांकन सिद्धान्तों अनुसार वर्ष के अन्त में यह खाते का शेष "Nil" होना चाहिए साथ ही हिमुडा अधिकारियों द्वारा इस CSSA (Cash Settlement Suspense Account) लेखा शीर्षक के सम्बन्ध में कोई स्वतः स्पष्ट

अभिलेख भी तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह जॉच नहीं की जा सकी कि यह राशि किस वर्ष और किस तिथि से समायोजन के लिए शेष है। अतः यह गम्भीर मामला पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

Years	**Balance**	**Increase**
2002-03	468443.00	---------
2003-04	1555799.83	1087356.82
2004-05	1016757.73	(-)539042.10
2005-06	1216277.15	199519.42
2006-07	3596406.15	2380129.00
2007-08	3007694.15	688712.00
2008-09	3548414.47	540720.00
2009-10	2667301.47	(-)881113.00
2010-11	5757769.47	3090468.00
2011-12	5505984.47	(-) 251785.00
2012-13	6569400.73	1063416.26

(viii) "Cost of Sale Receivable" लेखा शीर्ष अन्तर्गत दर्शाई गई ₹40347249.78 से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न करनाः–

शैडयूल "E" मद संख्या B (12) लेखा शीर्ष "कॉस्ट ऑफ सेल रिसीवेबल" के अन्तर्गत ₹40347249.78 की राशि को दिनांक 31.3.2013 को शेष दर्शाई गई थी। इस राशि की जॉच में पाया गया कि उक्त शेष के समर्थन में कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। केवल कौस्ट रिसीवेबल की लूज शीट ही तैयार की गई है जिसे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त वर्षात में इन राशियों का मिलान भी खाता वही के साथ नहीं किया गया था परिणामस्वरूप लाखों रूपयों का अन्तर तैयार अभिलेख व खाता वही शेष में पाया गया इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कालौनियों की पूर्व लागत का समायोजन अर्थात फाईनल कौस्टिंग कर ली गई है उनके आंबटियों से प्राप्त हो रही राशियॉ भी बिना समायोजन किए ही किस्त प्राप्ति लेखा शीर्ष में अनियमित प्रकार से दर्शाया गया है यद्यपि पाई गई उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितताएं पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई जाती रही है परन्तु आवश्यक सुधार हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे है। अतः यह गम्भीर मामला पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है, साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि इस लेखा शीर्षक को शीध्र समायोजित किया जाए।

(ix) (–)₹5592573.00 को "Recoverable from H.P. Govt. on account of GRHS excuted by HPPWD" & "Police Rental Housing Scheme" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत "Current Asstes" शैडयूल में गलत ढ़ंग से दर्शाने बारेः–

शैडयूल "E" मद संख्या B (14 & 15) पर राशि (–)₹5592573.00 (₹3398200.00+₹2194373.00) को "Recoverable from H.P. Govt. on account of GRHS aecuted by HPPWD" & "Police Rental Housing Scheme" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत "Current Assets" शैडयूल में गलत ढ़ंग से दर्शाया गया था इस राशि को दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाना चाहिए था। अतः इस दायित्व को वास्तविक स्थिति के आधार पर समायोजित करवाया जाए।

(x) "Maintenance, Water Charges & Rent Receivable" की ₹36237094 की वसूली न करने बारे :–

शैडयूल "E" मद संख्या 17, 18 & 19 पर Maintenance, Water Charges & Rent Receivable" शीर्षक के अन्तर्गत पर ₹36237094 की राशि दर्शाई गई थी यह राशि विभिन्न आवासीय कालौनियों के रखरखाव, पानी शुल्क और किराए से सम्बन्धित थी।

Sr. No.	***Year***	***Amount Recevable***
1	2007-08	17267815.00
2	2008-09	19330007.00.
3	2009-10	24883502.00
4	2010-11	29277194.00
5	2011-12	29753488.25
6	2012-13	36237094.00

ऊपर वर्णित वर्षवार सारणी से यह स्पष्ट है कि Maintenance, Water Charges & Rent Receivable" चार्जिस में वर्ष दर वर्ष बढ़ौतरी हो रही हे। अतः इन चार्जिज की समयबद्ध ढ़ंग से वसूली हेतु हिमुडा हैंड ऑफिस द्वारा सभी निर्माण मण्डलों को आवश्यक निर्देश दिए जाए जिससे इन चार्जिज की वसूली अतिशीध्र हो सके।

(xii) ₹125489431.98 की राशि को Income Tax Recoverable A/C from IT Deptt. लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने बारेः–

तुलन पत्र के Current Assets Schedule-E में मद संख्या B (20, 21, 22, 24, 25, 26, 27) पर Income Tax Recoverable A/C लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ₹125489431.98 की राशि

दर्शाई गई थी। जॉच करने पर पाया गया कि यह राशि वर्ष 2005–06 से भी पीछे से लम्बित चली आ रही है, इतनी बड़ी राशि का आयकर विभाग को विभिन्न वर्षो के दौरान अग्रिम रूप में भुगतान करना और लम्बे समय तक आयकर विभाग के साथ अपनी आयकर देनदारी का निर्धारण नहीं करना अपने आप में संदेहास्पद है। अतः इस सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि आयकर विभाग के साथ अग्रिम रूप में भुगतान आयकर का निर्धारण शीध्र करने हेतु प्रयास किए जाएं।

(xii) लेखा शीर्ष "Adjustable Amount (JNNURM) ₹31069839.74 को अनियमित रूप से लेखा शीर्षक "Rectification" के अन्तर्गत समायोजित करने बारेः–

हिमुडा के वार्षिक लेखा में "Current Assets, Loans & Advance, शैडयूल "E" के क्रम संख्या B(31) पर "रैक्टीफिकेशन" लेखा शीर्षक की जॉच करने पर पाया गया कि इस लेखा शीर्ष में एक अन्य लेखा शीर्ष "Adjustable Amount (JNNURM) की राशि ₹31069839.74 को अनियमित रूप से समायोजित किया गया था, जबकि इससे पूर्व के वित्तीय वर्षो के दौरान इस लेखा शीर्ष को अलग से "Current Assets, Loans & Advances के अन्तर्गत दर्शाया जाता रहा है। इस लेखा शीर्ष "Adjustable Amount (JNNURM) की राशि ₹31069839.74 को अलग से दर्शाया जाना उचित भी था क्योंकि यह राशि (JNNURM) Account से सम्बन्धित थी और उसी लेखा शीर्ष से ही समायोजित की जानी चाहिए थी, परन्तु हिमुडा द्वारा इस लेखा शीर्ष को अनियमित रूप से दूसरी प्रकृति के "रैक्टीफिकेशन" लेखा शीर्षक में समायोजित किया गया, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस चूक का सुधार किया जाए। भविष्य में इस प्रकार के लेखा शीर्षों को आपस में समायोजित करने से परिहार किया जाए।

(xiiii) ₹8.96 करोड़ के लेखों का समायोजन नहीं किया जानाः–

शैडयूल "E" में शीर्षक "Current Assets, Loans & Advances के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशियॉ कई वर्षों से दर्शाई जा रही थी और वर्षों उपरान्त बाद भी इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को समायोजित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशियों को समायोजित करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाए।

Sr. No.	Head	Amount (`₹) in lac	Remarks
1	Works Completed in Hand	448.09	The amount is pending for

			final settlement for last so many years
2	Material for works instore (NVP)	39.36	The amount is pending for final settlement for twelve years
3	Other miscellancous advances (NVP)	87.45	The amount is pending for final settlement for twelve years
4	Suspense a/c	5.76	The amount is pending for final settlement for several years
5	Rectification	315.01	The amount is pending for final settlement for several years
	Total	**895.67**	

20.6 शैडयूल "E-1" "Fixed Deposits"

(i) सावधि खोते पर अर्जित ब्याज को कम्पाऊन्ड आधार पर गणना न करने के कारण ₹33903484.62 के अर्जित ब्याज का कम लेखाँकन किया जानाः–

तुलन पत्र के शैडयूल "E-1" "Fixed Deposite" जो कि दिनांक 31.03.2013 तक सावधि खाते से सम्बन्धित है की पड़तान करने पर पाया गया कि सावधि खाते पर ब्याज की गणना साधारण आधार अर्थात वार्षिक आधार पर की जा रही थी जबकि नियमानुसार सावधि खाते पर ब्याज की गणना तीन मास की अवधि समाप्ति के बाद कम्पाऊन्ड आधार पर की जानी अपेक्षित थी। सावधि खाते पर ब्याज की गणना साधारण आधार अर्थात वार्षिक आधार पर करने के कारण बैंक से अर्जित ब्याज और सावधि खाते रजिस्अर एवं तुलन पत्र मे ंवर्णित ब्याज राशि में ₹33903484.62 का अन्तर था जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "ङ" पर वर्णित है। साथ ही ऐसा करने से तुलन पत्र में दिनांक 31.3.2013 तक अर्जित ब्याज की राशि ₹33903484.62 कम दर्शाई जा रही है। जिसके कारण तुलन पत्र बनाने के लिए प्रचलित लेखांकन सिद्धान्तों का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुलन पत्र वर्ष 2012–13 में दिनांक 31.3.2013 तक ₹33903484.62 ब्याज के रूप मे ंकम दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कम दर्शाये गये अर्जित ब्याज की गणना तीन मास की अवधि समाप्ति के बाद कम्पाऊन्ड आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए और साथ ही अर्जित ब्याज और

दर्शाई गई ब्याज की राशि के अन्तर को ठीक करने के लिए आवश्यक प्रविष्टि लेखा प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में की जानी सुनिश्चित की जाए।

21 लाभ –हानि लेखा (अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013)

हिमुडा का वर्ष 2012–13 का लाभ–हानि खाता में आय ₹269270781.62 और व्यय ₹288782944.51 दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप ₹19512162.89 को शुद्ध हानि हुई जिसे "Capital Reserve" में हस्तांतरित किया गया है। लाभ हानि खाते से सम्बन्धित निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

21.1 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस/विभागीय चार्जिस की तुलना में "स्थापना व्यय" पर ₹78905567.00 का अधिक व्ययः–

"स्थापना व्यय" पर वर्ष 2012–13 के दौरान ₹194030460 का व्यय किया गया था, जबकि इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिस/विभागीय चार्जिस ₹115124893 की राशि हिमुडा द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त की गई थी तुलनात्मक विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिस/विभागीय चार्जिस की तुलना में "संस्थापना" पर ₹78905567 (₹194030460(–)₹115124893=₹78905567) का अधिक व्यय किया गया था। अतः हिमुडा अधिकारियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी निर्माण गतिविधियां बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिज/विभागीय चार्जिज कि प्राप्ति हो सके और "संस्थापना" एवं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिज/विभागीय चार्जिस के बीच के शेष को पूर्ण किया जा सके।

21.2 आवासीय कालौनियों के रख–रखाव पर ₹25327831 की हानिः–

हिमुडा द्वारा अपनी हाऊसिंग कलौनियों के रख रखाव पर वर्ष 2012–13 के दौरान ₹42768178 का व्यय किया गया था जबकि इन कालौनियों से रख रखाव शुल्क के रूप में ₹17440347 की प्राप्ति की गई थी, तुलनात्मक विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि रख रखाव पर किए गए व्यय की तुलना में रख रखाव के लिए प्राप्त शुल्क पर ₹25327831 (₹17440347(–)₹42768178=₹17440347) का अधिक व्यय किया गया था। अतः हाऊसिंग कलौनियों के रख रखाव पर आय की तुलना में अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही हिमुडा अधिकारियों को यह सुझाव दिया जाता है कि हाऊसिंग कलौनियों के रख रखाव पर व्यय रख रखाव शुल्क की प्राप्ति के बराबर किया जाए ताकि इस हानि से बचा जा सके।

21.3 निर्माण कार्यों को ₹177384.00 का अधिक डेबिटः–

लाभ हानि खाते में "Repair & maintenance of Vehicles" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (–) ₹177384 की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट साईड दर्शाई गई थी जिससे यह ज्ञात होता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा वाहनों से आय अर्जित की गई है जबकि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा के वाहनों का व्यय वर्क को चार्ज किया जाता है जो वर्क के कामों में लगे हुये है, इस राशि का (–) में दर्शाने से यह पता चलता है कि ऐसे वाहनों का व्यय भी वर्क को चार्ज किया गया है जो प्रशासन के कार्य में लगे हुये है जो कि मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः "Repair & maintenance of Vehicles" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (–) राशि दर्शाने को न्यायोचित ठहराया जाए।

21.4 ₹19810654.000 को अनियमित रूप से गलत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत क्रेडिट किया जानाः–

लाभ हानि खाते में "Surplus on sale of Colonies" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹19810654.00 की राशि दर्शाई गई थी यह राशि विभिन्न कालौनियों के निर्माण पर "Percentage of Completion Method" के आधार पर तय किए गए वार्षिक लाभ से सम्बन्धित थी। इस प्रकार इस लाभ को "Surplus on sale of Method" लेखा शीर्षक के स्थान पर Profit on work in Progress लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। अतः इस लेखा शीर्षक की हिमुडा द्वारा अपने स्त्तर पर छानबीन की जाए और उसी अनुसार लेखों में आवश्यक सुधार किए जाए अन्यथा इस लेखा शीर्षक का औचित्य स्पष्ट किए जाए।

21.5 ₹27962.00 को "Employer Share of Employee Provident Fund" लेखा शीर्षक को क्रेडिट दिये जाने बारेः–

लाभ हानि खाते में "Employer Share of Employee Provident Fund" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (–) ₹27962/– की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट साईड दर्शाई गई थी जिससे यह ज्ञात होता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा "Employer Share of Employee Provident Fund" लेखा शीर्षक से आय अर्जित की गई थी यदि यह आय थी तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट साईड दर्शाना चाहिए था। अतः "Employer Share of Employee Provident Fund" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आय अर्जित करने को न्यायोचित ठहराया जाए।

21.6 ₹31063.00 को "Licence/Registration/Processing Fee" लेखा शीर्षक को डेबिट दिये जाने बारेः–

लाभ हानि खाते में "Licence/Registration/Processing Fee" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (–) ₹31063/– की राशि लाभ हानि खाते के क्रेडिट साईड दर्शाई गई थी जिससे यह ज्ञात होता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा "Licence/Registration/Processing Fee" पर व्यय की गई थी यदि यह व्यय था तो इसे लाभ हानि खाते के डेबिट साईड दर्शाना चाहिए था। अतः "Licence/Registration/Processing Fee" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत व्यय करने को करने को न्यायोचित ठहराया जाए।

22 लघु आपति विवरणिका_:– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 निष्कर्ष_:– लेखों में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)122/88–खण्ड–12–3613–14 दिनांक 30.06.2014, शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

(1) प्रधान सचिव (आवास) हि0 प्र0 सरकार शिमला–2

पंजीकृत :– (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हि0 प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रस्तुत करें।

हस्ता/

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क'' अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–171002 के अवधि 4/21012 से 3/2013 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अंकेक्षण पैरों की स्थितिः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही एवं सटिप्पण उत्तर की पड़ताल करने के उपरान्त निर्णीत/अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है। आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को परामर्श दिया जाता है कि अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु अविलम्ब वांन्छित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें ताकि अनिर्णीत पैरों का निस्तारण सम्भव हो सकेः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ङ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 10	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 29(1)	अनिर्णीत

4	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 29(3)	अनिर्णीत

(च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99</u>

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000</u>

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 26	अनिर्णीत
5	पैरा 29 (2)	अनिर्णीत

(ज) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001</u>

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत
9	पैरा 27	अनिर्णीत
10	पैरा 32	अनिर्णीत
11	पैरा 61	अनिर्णीत

(झ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 2/2002</u>

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत

6	पैरा 27	अनिर्णीत
7	पैरा 31	अनिर्णीत
8	पैरा 47	अनिर्णीत
9	पैरा 48	अनिर्णीत
10	पैरा 50	अनिर्णीत
11	पैरा 51	अनिर्णीत
12	पैरा 52	अनिर्णीत
13	पैरा 53	अनिर्णीत

(ञ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003</u>

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 20	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 35 (क से छ)	अनिर्णीत

(ट) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004</u>

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ठ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005</u>

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 29(2)	अनिर्णीत

11	पैरा 30(क,ख,ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 35	अनिर्णीत

(ङ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006</u>

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 23(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 23(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 25	अनिर्णीत
13	पैरा 31	अनिर्णीत
14	पैरा 32	अनिर्णीत

(ढ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007</u>

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 20	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत
4	पैरा 24	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत
6	पैरा 26	अनिर्णीत
7	पैरा 27	अनिर्णीत
8	पैरा 31	अनिर्णीत

(ण) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008</u>

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत

3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 21	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत
13	पैरा 27	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 18(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 18(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(ज)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 23	अनिर्णीत
14	पैरा 26	अनिर्णीत

(थ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010</u>

1	पैरा 4	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
2	पैरा 5	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 6(क)	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
4	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8	अनिर्णीत	
8	पैरा 9	अनिर्णीत	
9	पैरा 10	अनिर्णीत	
10	पैरा 11	अनिर्णीत	
11	पैरा 12	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
12	पैरा 13	अनिर्णीत	
13	पैरा 14	अनिर्णीत	
14	पैरा 15	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत निर्णीत)
15	पैरा 16(क)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त निर्णीत)
16	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा 17	अनिर्णीत	
18	पैरा 18	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही एवं सूचित किए तथ्यों उपरान्त निर्णीत)
19	पैरा 19	अनिर्णीत	
20	पैरा 20	अनिर्णीत	
21	पैरा 21(1)	अनिर्णीत	
22	पैरा 21(2)	अनिर्णीत	
23	पैरा 21(3)	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
24	पैरा 21(4)	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
25	पैरा 22	अनिर्णीत	
26	पैरा 23	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
27	पैरा 24	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं चर्चा उपरान्त निर्णीत)
28	पैरा 25	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं चर्चा उपरान्त निर्णीत)
29	पैरा 26	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं चर्चा उपरान्त निर्णीत)
30	पैरा 27	निर्णीत	(अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरान्त निर्णीत)

31	पैरा 28	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत निर्णीत)
32	पैरा 29	अनिर्णीत	
33	पैरा 30	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत निर्णीत)
34	पैरा 31(1)	अनिर्णीत	
35	पैरा 31(2)	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
36	पैरा 32	अनिर्णीत	
37	पैरा 33	अनिर्णीत	
38	पैरा 34	अनिर्णीत	
39	पैरा 35(1)	अनिर्णीत	
40	पैरा 35(2)	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
41	पैरा 36	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
42	पैरा 37	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
43	पैरा 38	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के दृष्टिगत निर्णीत)
44	पैरा 39	अनिर्णीत	
45	पैरा 40	अनिर्णीत	
46	पैरा 41	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
47	पैरा 42	अनिर्णीत	
48	पैरा 43	निर्णीत	(अनुपालना उपरान्त निर्णीत)
49	पैरा 44	अनिर्णीत	
50	पैरा 45	अनिर्णीत	
51	पैरा 46	अनिर्णीत	
52	पैरा 47	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 3	निर्णीत	(संशोधित अंकेक्षण शुल्क ₹320900/– चैक संख्या 371537, दिनाँक 25.08.2012 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
2	पैरा 4	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 4.1	अनिर्णीत	
4	पैरा 5	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 6	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 7	अनिर्णीत	

7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 8.1	अनिर्णीत
9	पैरा 8.2	अनिर्णीत
10	पैरा 8.3	अनिर्णीत
11	पैरा 8.4	अनिर्णीत
12	पैरा 8.5	अनिर्णीत
13	पैरा 8.6	अनिर्णीत
14	पैरा 8.7	अनिर्णीत
15	पैरा 8.8	अनिर्णीत
16	पैरा 8.9	अनिर्णीत
17	पैरा 8.10	अनिर्णीत
18	पैरा 8.11	अनिर्णीत
19	पैरा 9	अनिर्णीत
20	पैरा 9.1	अनिर्णीत
21	पैरा 10	अनिर्णीत
22	पैरा 11	अनिर्णीत
23	पैरा 12	अनिर्णीत
24	पैरा 13	अनिर्णीत
25	पैरा 14	अनिर्णीत
26	पैरा 14.1	अनिर्णीत
27	पैरा 14.2	अनिर्णीत
28	पैरा 14.3	अनिर्णीत
29	पैरा 14.4	अनिर्णीत
30	पैरा 15	अनिर्णीत
31	पैरा 16	अनिर्णीत
32	पैरा 17	अनिर्णीत
33	पैरा 17.1	अनिर्णीत
34	पैरा 18	अनिर्णीत
35	पैरा 19	अनिर्णीत
36	पैरा 19.1	अनिर्णीत
37	पैरा 20	अनिर्णीत
38	पैरा 21	अनिर्णीत

39	पैरा 22	अनिर्णीत	
40	पैरा 23 (क) (ख)	अनिर्णीत	
41	पैरा 24	अनिर्णीत	
42	पैरा 25	अनिर्णीत	
43	पैरा 25.1	अनिर्णीत	
44	पैरा 25.2	अनिर्णीत	
45	पैरा 26	अनिर्णीत	
46	पैरा 27	अनिर्णीत	
47	पैरा 28	अनिर्णीत	
48	पैरा 29	अनिर्णीत	
49	पैरा 30	अनिर्णीत	
50	पैरा 31	अनिर्णीत	
51	पैरा 31.1	अनिर्णीत	
52	पैरा 31.2	अनिर्णीत	
53	पैरा 31.3	अनिर्णीत	
54	पैरा 32	अनिर्णीत	
55	पैरा 33	अनिर्णीत	
56	पैरा 34	अनिर्णीत	

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹323800/– चैक संख्या 053685, दिनाँक 20.01.2014 द्वारा जमा करवाने के उपरान्त)
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	अनिर्णीत	
4	पैरा 6	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 7	निर्णीत	(निर्णीत एवं पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
8	पैरा 8.2	अनिर्णीत	
9	पैरा 8.3	अनिर्णीत	

10	पैरा 8.4	अनिर्णीत
11	पैरा 8.5	अनिर्णीत
12	पैरा 8.6	अनिर्णीत
13	पैरा 9	अनिर्णीत
14	पैरा 9.1	अनिर्णीत
15	पैरा 9.2	अनिर्णीत
16	पैरा 9.3	अनिर्णीत
17	पैरा 9.4	अनिर्णीत
18	पैरा 9.5	अनिर्णीत
19	पैरा 10	अनिर्णीत
20	पैरा 10.1 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
21	पैरा 11	अनिर्णीत
22	पैरा 11.1	अनिर्णीत
23	पैरा 12	अनिर्णीत
24	पैरा 13	अनिर्णीत
25	पैरा 14	अनिर्णीत
26	पैरा 15 (क, ख)	अनिर्णीत
27	पैरा 16	अनिर्णीत
28	पैरा 17 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
29	पैरा 18	अनिर्णीत
30	पैरा 19	अनिर्णीत
31	पैरा 19 (1) (क, ख, ग, घ, ङ, च)	अनिर्णीत
32	पैरा 19 (2) (क)	अनिर्णीत
33	पैरा 19 (3) (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
34	पैरा 19 (4) (क)	अनिर्णीत
35	पैरा 19 (5) (क, ख, ग)	अनिर्णीत
36	पैरा 19 (6) (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ)	अनिर्णीत
37	पैरा 19 (7) (क, ख)	अनिर्णीत
38	पैरा 19 (8)	अनिर्णीत
39	पैरा 19 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
40	पैरा 19 (10) (क)	अनिर्णीत

41	पैरा 19 (11) (क)	अनिर्णीत
42	पैरा 19 (12) (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
43	पैरा 19 (13, 14, 15, 16,17, 18, 19)	अनिर्णीत
44	पैरा 20	अनिर्णीत
45	पैरा 20.1 (i, ii, iii)	अनिर्णीत
46	पैरा 20.2 (i)	अनिर्णीत
47	पैरा 20.3 (i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत
48	पैरा 20.3 (v) (क, ख)	अनिर्णीत
49	पैरा 20.4 (i) (क, ख, ग)	अनिर्णीत
50	पैरा 20.4 (ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi)	अनिर्णीत
51	पैरा 20.4 (xii) (क, ख)	अनिर्णीत
52	पैरा 20.4 (xii, xiv)	अनिर्णीत
53	पैरा 21	अनिर्णीत
54	पैरा 21.1	अनिर्णीत
55	पैरा 21.2	अनिर्णीत
56	पैरा 21.3	अनिर्णीत
57	पैरा 21.4	अनिर्णीत
58	पैरा 21.5	अनिर्णीत

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 27	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 63	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (न)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ठ)	अनिर्णीत

(घ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93</u>

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 28	अनिर्णीत

(ङ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94</u>

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 30 (ए से सी)	अनिर्णीत

(च) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95</u>

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

(छ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96</u>

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 12(5,6,9)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(5 व 7)	अनिर्णीत
4	पैरा 19(डी व ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(ए)	अनिर्णीत

(ज) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97</u>

1	पैरा 4(11)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(एफ)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 26(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ग),(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ग,ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(झ)	अनिर्णीत
10	पैरा 20(ग)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 20 (छ) (क्रम संख्या 1,2,3,8 को छोड़कर)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 19 (क्रम संख्या 11,13,15)	अनिर्णीत
7	पैरा 24 (ग)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 15.01.2001

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(ज,झ,ञ,ट,ठ,ड,त,थ,द,ध)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(2,3,4)	अनिर्णीत